छत्तीसगढ़ विधान सभा

(पंचम)

खण्ड – 10

मार्च, 2022 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 20 जुलाई, 2022 को सदन में प्रस्तुत)

शासकीय मुद्रणालय
नवा रायपुर अटल नगर
2022

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के अध्याय-7 के नियम-51 के अनुसार इस संकलन में मार्च, 2022 सत्र हेतु नियत बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों का संकलन सम्मिलित किया गया है। साथ ही यथासमय प्राप्त पृथक वितरित एवं पुनरीक्षित उत्तरों को भी मुद्रित कराया गया है।

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्टक [... ... ...] के अंदर मुद्रित है। इस संकलन में सामान्य प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास तथा सहकारिता विभाग के प्रश्न एवं यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित की गयी है।

रायपुर :
दिनांक : 27 जून, 2022

दिनेश शर्मा
सचिव.

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	मार्च, 2022 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1-08
2.	मार्च, 2022 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	09-32
3.	मार्च, 2022 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोंत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची तथा छायाप्रति	33-84

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर

बलौदा विकास खण्ड के अंतर्गत कोरबी सेवा सहकारी समिति के संबंध में शिकायत,कार्यवाही

1. (क्र. 19) श्री सौरभ सिंह :- क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले के बलौदा विकासखण्ड के अंतर्गत कोरबी सेवा सहकारी समिति पंजीयन क्र. 993 में वर्ष 2020 और 2021 कब-कब, किस-किस व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समिति के संचालन एवं प्रबंधन के संदर्भ में कहां-कहां पर शिकायत की गई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम):- [(क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।] (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । [पुनरीक्षित उत्तर]

प्रदेश में निर्मित मिनी स्टेडियम को खेलों के लिए उपयुक्त बनाने संबंधी

2. (क्र. 50) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनांक 17 नवंबर, 2021 की स्थिति में 38 मिनी स्टेडियम ऐसे शेष रह गये थे, जो खेलों के लिए उपयुक्त नहीं थे? यदि हां तो दिनांक 3 फरवरी, 2022 की स्थिति में इनमें से कितने मिनी स्टेडियमों को पूर्ण कर खेलों के लिए उपयुक्त बना दिया गया है? (ख) क्या कैलेण्डर वर्ष 2019, 2022 तथा 2021 में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है? यदि हां तो कहां कहां ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल): [(क) जी हाँ। दिनांक 03 फरवरी 2022 की स्थिति में दो मिनी स्टेडियमों को पूर्ण कर खेलों के लिए उपयुक्त बना दिया गया है। (ख) जानकारी संबंधित विभागों से एकत्रित की जा रही है।]

(क) जी हाँ। दिनांक 03 फरवरी 2022 की स्थिति में दो मिनी स्टेडियमों को पूर्ण कर खेलों के लिए उपयुक्त बना दिया गया है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में निम्नलिखित स्थानों में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है:-

क्रमांक	स्थान
01	कोटेया, विकासखण्ड प्रतापपुर, जिला सूरजपुर
02	सिलौटा, विकासखण्ड प्रतापपुर, जिला सूरजपुर
03	पोलमपल्ली, विकासखण्ड कोंटा, जिला सुकमा
04	तालनार, विकासखण्ड छिन्दगढ़, जिला सुकमा
05	जमावाड़ा, विकासखण्ड जगदलपुर, जिला बस्तर
06	ग्राम-रानीतराई, विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग
07	नैमेड, विकासखण्ड बीजापुर, जिला बीजापुर

[पृथक वितरित उत्तर]

शासकीय पदों में भर्तियाँ

3. (क्र. 73) (श्री अजय चन्द्राकर) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 दिसंबर, 2018 से 31 जनवरी, 2022 तक कौन-कौन से विभागों के, किन-किन शासकीय पदों में, कितने-कितने रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया? तथा कौन-कौन से पदों की भर्ती परीक्षा संपादित हो चुकी है तथा कितनी किस कारण से शेष है, विभागवार अलग-अलग बतायें। (ख) उक्त भर्ती प्रक्रिया में कौन-

---

† परिशिष्ट "एक"

कौन से पदों पर, कितने अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके है तथा कितने शेष है और उसका क्या कारण है एवं कब तक जारी कर दिए जायेंगे? तथा कितने पदों की भर्ती की नियुक्ति में कब से कब तक समयावधि बढ़ायी गई थी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]
(क) प्रश्नांश (क) की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" में संधारित है। (ख) प्रश्नांश (ख) की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" में संधारित है।

अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया से लिया गया ऋण

4. (क्र. 206) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया से कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया है? क्या इस प्राधिकरण को अगस्त, 2021 में बैंक से डिमांड नोटिस जारी किया गया था? (ख) क्या जनवरी 2022 में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने अटल नगर विकास प्राधिकरण का कब्ज़ा सूचना प्रकाशित की है? यदि हॉ, तो इस सूचना पर शासन द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं? (ग) 01 फरवरी, 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का कुल कितना ऋण है? इस पर कितने वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : [(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार। जी हां। (ख) जी हां। ऋणों के पुनर्गठन हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर लेख किया गया है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]
(क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र - "अ" अनुसार है। जी हां। (ख) जी हां। ऋणों के पुनर्गठन हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर लेख किया गया है। (ग) वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कुल ऋण 84,223 करोड़ है। जानकारी † संलग्न प्रपत्र - "ब" अनुसार है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में

5. (क्र. 227) (श्री धरमलाल कौशिक) :- क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक छत्तीसगढ़ शासन में कितने व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्ति दी गई है? वित्तीय वर्षवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? यदि हां, तो कब व उस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं, समिति की बैठक कब कब हुई है, समिति के द्वारा क्या अनुशंसा की गई है और समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट देनी थी? यदि नहीं, दी गई है तो कब तक दी जावेगी? उक्त अनुसार कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : [(क) जानाकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है]
(क) 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक छत्तीसगढ़ शासन में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्ति की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में हैं। (ख) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-1/2019/1-3, दिनांक 11-12-2019 द्वारा प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की गई है-

1 प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग सदस्य

2 सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य-सचिव

3 सचिव, वित्त विभाग सदस्य

4 सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य

5 सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग सदस्य

समिति की बैठक दिनांक 09-01-2020 को सम्पन्न हुई है। समिति द्वारा बैठक में की गई अनुशंसा निम्नानुसार है :-

---

† परिशिष्ट "दो" †† परिशिष्ट "तीन"

(1) विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की पूर्व उपलब्ध औपचारिक जानकारी प्राप्त की जाये।

(2) विधि एवं विधायी कार्य विभाग का परामर्श/अभिमत प्राप्त किया जाए।

(3) पूर्व में गठित समिति द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार विभागों तथा उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय/निगम/मंडल/आयोग/संस्था आदि में पूर्व से कार्यरत अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी चाही गई है।

नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से भी अभिमत प्राप्त किया जा रहा है। विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग के टीप दिनांक 28-05-2019 में लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जायेगा, जो अपेक्षित है।

समिति को यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के अनुसार अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कब-तक नियमित किया जायेगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। [पृथक वितरित उत्तर]

ईसीआरपी-II (Emergengy COVID Response Package Phase-II) का क्रियान्वयन

6. (क्र. 371) श्री मोहन मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि(क) ईसीआरपी-II (Emergengy COVID Response Package Phase-II) के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021 में किन-किन जिलों को कितनी राशि आबंटित की गई थी ? कार्य पूर्णता की समयावधि क्या थी ? कार्य कब तक पूर्ण कराए जाने थे ?(ख) क्या राज्य शासन द्वारा उक्त आबंटित राशि जिलों से वापस मंगा ली गई ? यदि हां तो किन-किन जिलों से कितनी राशि व किन कारणों से ? दिनांक 05 फरवरी 2022 की स्थिति में उक्त जिलों में कार्य की स्थिति का ब्यौरा देवें । (ग) कंडिका "ख" के अनुसार क्या किसी जिले में निविदा प्रक्रिया पूर्ण थी ? यदि हां तो कौन-कौन से जिले? इन जिलों से राशि वापस करने का क्या औचित्य था? उक्त जिलों में निर्धारित समयावधि में कार्यपूर्णता की क्या कार्ययोजना है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]

(क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। कार्यपूर्णता की समयावधि 31 मार्च 2022 थी।

(ख) जिलेवार आबंटित राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार जिलों से राशि मंगाई गई । व्यय और देयता के आंकलन उपरांत द्वितीय किश्त की पात्रता हेतु राशि वापस ली गई। दिनांक 5-2-2022 के स्थिति में कुल स्वीकृत कार्य 449 में से-11 पूर्ण हो चुके हैं, 379 प्रक्रियाधीन है तथा शेष 59 प्रारंभ नहीं किये गये थे। जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" है।

(ग) दिनांक 05 फरवरी 2022 की स्थिति में 22 जिलों में 449 कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण थी। जिसकी जानकारी † संलग्न प्रपत्र "द" में है। भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त जिलों में निर्धारित बढ़ाई गई समयावधि में कार्य पूर्ण किए जाएंगे।

स्वामी विवेकानंद तकनिकी विश्वविद्यालय भिलाई में कौशल विकास हेतु संचालित योजना

7. (क्र. 399) श्री दलेश्वर साहू : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या प्रश्नावधि तक युवाओं के कौशल विकास हेतु स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा कोई योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ तो किस योजना हेतु किन किन एजेंसियों को किस कार्य हेतु इम्पेंनल्मेंट किया गया है? चयन हेतु क्या मापदंड निर्धारित था एवं इम्पेनल्मेंट के लिए कितनी राशि ली गयी है? प्राप्त राशि का व्यय किन मदों में किया गया है? व्यय का मदवार, एजेंसिवार लाभान्वितों की जानकारी सेक्टरवार देवें?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : जी हां। [2 योजनाएं संचालित हैं। स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु योजना हेतु एफ.एस.डी.ओ. का इम्पैनलमेंट किया गया है। चयन हेतु मापदंड संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्धारित था। इम्पैनलमेंट के लिये राशि नहीं ली गई है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। लाभान्वितों की संख्या निम्नानुसार है -1.सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इनफॉर्मल एजुकेशन – 1983 2.स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु योजना -(क) कंस्ट्रक्शन-158(ख) आई.टी.-350(ग) हैंडीक्राफ्ट-115]

---

† परिशिष्ट "चार"

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के 1098 किसानों को 197.923 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति के 7113 किसानों को 1798.369 लाख रूपये की अनुदान राशि वित्तीय वर्ष 2020 (2020-21) में स्वीकृत की गई। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 935 किसानों को 243.795 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति के 6112 किसानों को 1018.351 लाख रूपये की अनुदान राशि वित्तीय वर्ष 2021 (2021-22) में स्वीकृत की गई। इस प्रकार अनुसूचित जाति व जनजाति के 15258 किसानों को 3258.438 लाख रूपये की राशि वित्तीय वर्ष 2020 (2020-21) एवं वित्तीय वर्ष 2021 (2021-22) में स्वीकृत की गई। उक्त दोनों वर्षों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जिन किसानों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई उनकी जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-क अनुसार है। [पुनरीक्षित उत्तर]

कृषि आदान व्यवसाय के लिए अनुज्ञा का प्रदाय

11. (क्र. 856) डॉ. विनय जायसवाल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में भंडारित की जा रही किन -किन आदानों के लिए विक्रय, भंडारण हेतु अनुज्ञा या अनुमति आवश्यक है? क्या बिना अनुज्ञा के भंडारण और विक्रय की जानकारी है? यदि हाँ तो सामग्री का नाम बताएं? (ख) क्या सी वीड जेल/एक्सट्रैक्ट/ग्रेन्युल के विक्रय के लिए भी अनुज्ञा आवश्यक है? यदि हाँ, तो इस हेतु राज्य में कितनी अनुज्ञा/अनुमति दी गयी है? (ग) उपरोक्त उत्पादों को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा कब कृषि ऋण हेतु आदानों के रूप में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं तो सहकारी समितियों में भंडारण किस आधार पर किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)जानकारी संकलित की जा रही है।]

(क) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में भंडारित किये जा रहे कृषि आदान जैसे-बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों के विक्रय एवं भण्डारण हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुज्ञा के भण्डारण एवं विक्रय की जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं है।

(ख) सी वीड जेल/एक्सट्रैक्ट/ग्रेन्युल उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण) आदेश 1985 की अनुसूची– VI पुस्तकालय में रखे (प्रपत्र-अ) में है तथा 31 मार्च, 2022 तक इसके विनिर्माताओं एवं आयातकों के द्वारा भारत सरकार से अतः कालीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लेने के अधीन, इसी तिथि तक विक्रय की जा सकती है। 31 मार्च, 2022 के उपरांत विक्रय के लिये अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ग) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति का गठन कृषि विभाग के आदेश दिनांक 09-02-2021 पुस्तकालय में रखे (प्रपत्र-ब) द्वारा किया गया है जिसमें तकनीकी समिति का दायित्व यह है कि, "फसलीय ऋण तथा मत्स्य एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्यशील पूंजी ऋणों के वित्तमान निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्ताव का नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समीक्षा कर अनुमोदन प्रदान करना।"

सहकारी सोसाइटियों में भण्डारण पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09-03-2016 पुस्तकालय में रखे (प्रपत्र-स) के अनुसार किया जा रहा है।

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का बंदोबस्तीकरण

12. (क्र. 983) श्री राजमन बेंजाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों का बन्दोबस्तीकरण नहीं किया गया है ? बंदोबस्त नहीं किये जाने का क्या कारण है और कब तक बन्दोबस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल): [चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत कुल 161 ग्राम पंचायत है, जिनको 1930 के दशक में बंदोबस्त किया गया था। 1990 के दशक में पुनः राजस्व सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसमें 03 ग्राम पंचायतों का राजस्व सर्वेक्षण/बंदोबस्त नही किया गया एवं 07 ग्रामों का वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने से बंदोबस्तीकरण का कार्य शेष है। बंदोबस्तीकरण हेतु शेष ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील का नाम	बंदोबस्त न होने का कारण
1	बड़े किलेपाल 1	बास्तानार	स्थानीय विवाद के कारण
2	बड़े किलेपाल 2	बास्तानार	स्थानीय विवाद के कारण
3	बड़े किलेपाल 3	बास्तानार	स्थानीय विवाद के कारण

वन ग्राम से राजस्व घोषित किये गये ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	बंदोबस्त न होने का कारण
1	मोदेनार	दरभा	वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने के कारण बंदोबस्त का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	बीसपुर	दरभा	-----तदैव-----
3	कुडुमखोदरा	-----तदैव-----	-----तदैव-----
4	तोयनार	-----तदैव-----	-----तदैव-----
5	कोडरीछापर	-----तदैव-----	-----तदैव-----
6	कलेपाल	-----तदैव-----	-----तदैव-----
7	कोटमसर	-----तदैव-----	-----तदैव-----
8	पावेल	लोहण्डीगुड़ा	-----तदैव-----

बन्दोबस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।]

चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत कुल 161 ग्राम पंचायत है, जिनको 1930 के दशक में बंदोबस्त किया गया था। 1990 के दशक में पुनः राजस्व सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसमें 08 ग्राम पंचायतों का राजस्व सर्वेक्षण/बंदोबस्त नही किया गया एवं 08 ग्रामों का वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने से बंदोबस्तीकरण का कार्य शेष है। बंदोबस्तीकरण हेतु शेष ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	तहसील का नाम	बंदोबस्त न होने का कारण
1	बड़े किलेपाल 01	बड़े किलेपाल	बस्तानार	स्थानीय विवाद होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण कार्य में विलंब हुआ एवं उसी दौरान राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) कार्य विखंडित किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
2	बड़े किलेपाल 02			
3	बड़े किलेपाल 03			
4	भेजा	भेजा	लोहण्डीगुड़ा	राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त), कार्य प्रक्रियाधीन था, उसी दौरान राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) कार्य विखंडित किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
5	चंदेला	चंदेला		
6	छिन्दावाड़ा-01	छिन्दावाड़ा	दरभा	राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) कार्य प्रक्रियाधीन था, उसी दौरान राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) कार्य विखंडित किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
7	छिन्दावाड़ा-02			
8	छिन्दावाड़ा-03			

चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित किये गए ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	बंदोबस्त न होने का कारण
1	मुंदेनार	दरभा	वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने के कारण बंदोबस्त का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	बीसपुर		
3	कुडुमखोदरा		
4	तोयनार		
5	कोडरीछापर		
6	कलेपाल		
7	कोटमसर		
8	पावेल	लोहण्डीगुड़ा	वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने के कारण बंदोबस्त का कार्य प्रक्रियाधीन है।

वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तित ग्रामों का वर्तमान में राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) कार्य प्रक्रियाधीन है। [पुनरीक्षित उत्तर]

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला घोषित शालाओं में हिंदी माध्यम का संचालन बंद होना

13. (क्र. 994) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या ऐसी शालाएं जिन्हें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला घोषित किया गया है? उन शालाओ में हिंदी माध्यम का संचालन बंद कर वहां के समस्त शैक्षिक एवम अशैक्षिक स्टाफ का स्थानांतरण अन्य संस्थाओं में कर दिया गया है? (ख) यदि नहीं, तो धरसींवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंरा से हिंदी माध्यम के 11 शैक्षिक एवम 1 अशैक्षिक स्टाफ का स्थानांतरण क्यों कर दिया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : [(क) जी हां। (ख) क्योंकि स्वामी आत्मानंद विद्यालयों का संचालन संबंधित स्कूल संचालन हेतु गठित समिति द्वारा किया जाता है, और विद्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर ही कार्य कर सकते हैं, और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंरा में पदस्थ शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ द्वारा इस शाला में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने का आवेदन नहीं दिया गया ।]

(क) जिन शालाओं को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घोषित किया गया है वहां अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। हिन्दी माध्यम का संचालन बंद नहीं किया गया है। कुछ विद्यालयों से स्टाफ का स्थानांतरण किया गया है।

(ख) स्थानांतरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। [पुनरीक्षित उत्तर]

प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रम की संख्या तथा हानि और लाभ

14. (क्र. 1017) (श्री शिवरतन शर्मा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, उक्त उपक्रम किस-किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? (ख) हानि में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन से हैं?

मुख्यमंत्री (भूपेश बघेल) :- [(क) एवं (ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र - "अ" में दर्शित है। (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र - "ब" में दर्शित है।

विभाग निगम द्वारा एजाडिरेक्टिन/50000 पीपीएम क्रय

15. (क्र. 1421) (श्री धरम लाल कौशिक) : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि एजाडिरेक्टिन 50000 पीपीएम का क्रय विभागनिगम द्वारा किया जाता है? यदि हाँ तो 01 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2022 तक किस किस फर्म से-कितने कितने दर पर, कुल कितनी राशि का कब कब क्रय किया गया है ? सामग्री निर्धारित समय के कितने दिनों बाद प्राप्त हुई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? सम्बंधित फर्मो के द्वारा विभाग को आपूर्ति किये गये उक्तानुसार सामग्री के विरूद्ध कब कब कितना जीएसटी का भुगतान किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- [जानकारी संकलित की जा रही है।]

संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत संचालित योजनाओं में आदान सामग्री के रूप में कृषकों को वितरित करने हेतु एजाडिरेक्टिन 50000 पीपीएम का क्रय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के माध्यम से किया जाता है।

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2020 से 31-01-2022 तक मेसर्स सृष्टि आर्गेनिक्स कबीरधाम से रू. 8,16,86,409.00 एवं मेसर्स कृषि बायो प्रोडक्ट एंड रिसर्च प्रा.लिमि., इंदौर से राशि रू. 41,01,729.00 का एजाडिरेक्टिन 50000 पीपीएम क्रय किया गया है। सामान्यतः छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा आदान सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रदायको को प्रसारित प्रदाय आदेश के 15 शासकीय कार्य दिवस के भीतर सामग्री की आपूर्ति करनी होती है। प्रश्नाधीन अवधि में प्रदायको द्वारा समयावधि के भीतर सामग्री की आपूर्ति की गई है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

सामग्री प्रदायगी के संबंध मे वर्षवार, जिलावार एवं प्रदायकवार क्रय की विस्तृत जानकारी एवं सामग्री के विरूद्ध किये गये जी.एस.टी. भुगतान की जानकारी प्रपत्र अ एवं 'ब' अनुसार है।

---

† परिशिष्ट "छः"

प्रदेश में संचालित भवनविहीन दिव्यांग स्कूल

16. (क्र. 1475) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कितने दिव्यांग स्कूल संचालित है? इनमें से कितने के पास स्वयं के भवन नहीं हैं? जिलेवार विवरण देवें.(ख) बालोद जिलान्तर्गत ग्राम कचान्दुर में संचालित दिव्यांग स्कूल के भवन निर्माण एवं संचालन की क्या योजना है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) प्रदेश में 61 दिव्यांग स्कूल संचालित है, इनमें से 27 के पास स्वयं के भवन नहीं है। जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) दिव्यांग विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र (दिव्यांग स्कूल) का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, कचांदूर के अतिरिक्त कक्ष में हो रहा था, जो माह अप्रैल 2021 से बंद है। पृथक से भवन निर्माण की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। पुनः संचालन हेतु विचार किया जा रहा है।

(क) प्रदेश में 60 दिव्यांग स्कूल संचालित है, इनमें से 27 के पास स्वयं के भवन नहीं है। जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

(ख) बालोद जिला अन्तर्गत ग्राम कचान्दुर में दिव्यांग स्कूल संचालित नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। [पुनरीक्षित उत्तर]

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

17. (क्र. 1519) श्री विद्यारतन भसीन : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक ग्रीन हाउस व पाली हाउस किस-किस फर्म द्वारा, किस दर पर, कुल कितनी राशि का, कब-कब बनाया गया है ? वर्ष वार व जिलेवार जानकारी देवें । (ख) इस संबंध में कब-कब, किसके द्वारा क्या-क्या शिकायत की गई, किसने जांच की तथा जांच में क्या निष्कर्ष दिया गया व कौन दोषी पाया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।]

(क) प्रश्नाधीन अवधि में संचालनालय उद्यानिकी के अंतर्गत अधीनस्थ जिलों में ग्रीन हाउस का निर्माण इंडियन ग्रीन हाउस, एम.बी. इंटरप्राइजेस, महेन्द्र टॉप ग्रीन हाउस, फार्म मेकर, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि., साई ग्रीन हाउस देवबिल्ड प्राईवेट लिमि., साहू एग्रोटेक, शिवम एग्रोटेक, नेचर टच, श्रेया एग्रो, हितासू कार्पोरेशन से एवं पॉली हाउस का निर्माण जय गुरुदेव एग्रो, महालक्ष्मी पाली हाउस सर्विस, आर. डी. ट्रेडर्स से कराया गया है। ग्रीन हाउस व पॉली हाउस निर्माण करने वाली संस्थावार, निर्माण दर, निर्माण लागत की वर्षवार व जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

(ख) प्रश्नांश क के परिपेक्ष्य में ग्रीन हाउस नेचुरल वैटिं लेटेड (पाली हाउस) पर अनुदान भुगतान में अनियमितता बरतने के संबंध में माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से दिनांक 04-06-2021 को शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच उपसंचालक उद्यान, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा की गई है। जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में शिकायत सही नहीं पाई गई है। [पृथक वितरित उत्तर]

---

† परिशिष्ट "सात" †† परिशिष्ट "आठ"

मार्च, 2022 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[प्रश्न संख्या (1) (क्रमांक 19) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोरबी में वर्ष 2020 और 2021 में प्राप्त शिकायत तथा की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	वर्ष	शिकायतकर्ता / जनप्रतिनिधि का नाम	शिकायत का विषय	जाँच में प्राप्त तथ्य	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2020	श्री मंगता राम जांगड़े, सभापति, मनरेगा / अन्य राष्ट्रीय कार्यमुक्त समिति, जनपद पंचायत, बलौदा, क्षेत्र क्र. 03	सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोरबी में अनियमितता के संबंध में।	शिकायत जाँच में आंशिक रूप से सही पायी गयी है। जाँच प्रतिवेदन को निरस्त करते हुए पुनः जाँच हेतु उच्च स्तरीय जाँच दल का गठन किया गया है।	जाँच प्रक्रियाधीन है।
2	2021	श्री सौरभ सिंह, विधायक, अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा	श्री नोमल लाल वैष्णव, सेवा सहकारी समिति कोरबी में संस्था प्रबंधक के पद पर पुनः बहाल करने बाबत्।	श्री नोमल लाल वैष्णव नाम का कोई भी कर्मचारी सेवा सहकारी समिति कोरबी में पदस्थ नहीं रहा है।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट "दो"

[प्रश्न संख्या (4) (क्र. 206) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त ऋण की जानकारी

स. क्र.	ऋण का प्रकार/विवरण	ऋण खाता क्रमांक	स्वीकृत ऋण	आहरित ऋण	01 फरवरी, 2022 की स्थिति में शेष ऋण (राशि करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दीर्घकालीन ऋण – I	504006390000026	200	200	156.28
2	दीर्घकालीन ऋण – II	504006390000030	169	169	162.44
		कुल योग	379	369	318.72

प्रपत्र "ब"

स. क्र.	ऋण का स्त्रोत	31 जनवरी, 2022 की स्थिति में ऋण की राशि (करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(1)	रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार उधार	63432.10
(2)	भारतीय जीवन बीमा निगम	20.29
(3)	साधारण बीमा निगम	1.05
(4)	नाबार्ड	4657.42
(5)	बॉन्ड्स	918.52
(6)	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	7.26
(7)	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी राज्य प्रतिभूतियां	3689.13
(8)	केन्द्रीय सरकार से ऋण	11497.38
	कुल योग	84223.15

दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में 3,659.54 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है तथा वर्ष 2022-23 के लिए 7,222.05 करोड़ ब्याज भुगतान अनुमानित है।

परिशिष्ट "तीन"

[प्रश्न संख्या 5 (क्र. 227) के भाग (क) की जानकारी]

(दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित रूप से नवीन नियुक्तियों की वित्तीय वर्षवार जानकारी)

क्रमांक	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2018–2019	वित्तीय वर्ष 2019–2020	वित्तीय वर्ष 2020–2021	वित्तीय वर्ष 2021–2022	महायोग
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम श्रेणी	10	4	46	6	66
2	द्वितीय श्रेणी	531	364	2663	666	4224
3	तृतीय श्रेणी	3005	804	4341	5329	13479
4	चतुर्थ श्रेणी	387	674	897	564	2522
योग		3933	1846	7947	6565	20291

परिशिष्ट "चार"

[प्रश्न संख्या 6 (क्र. 371) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र- "अ"

ईसीआरपी–II (Emergency COVID Response Package Phase-II) के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021 में जिलों को आबंटित राशि की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृत आबंटित बजट (राशि लाख में)	स्वीकृत आबंटित बजट के विरूद्ध विमुक्त राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4
1	बालोद	1,003.49	367.00
2	बलौदाबाजार	996.47	364.50
3	बलरामपुर	1,014.36	371.00
4	बस्तर	785.84	287.40
5	बेमेतरा	780.42	285.50
6	बीजापुर	819.53	299.70
7	बिलासपुर	771.70	282.20
8	दन्तेवाड़ा	770.49	281.80
9	धमतरी	818.24	299.30
10	दुर्ग	900.97	329.60
11	गरियाबंद	1,031.21	377.20
12	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	506.24	185.20
13	जांजगीर–चांपा	1,184.42	433.30
14	जशपुर	1,073.60	392.70
15	कांकेर	1,007.60	368.60
16	कवर्धा	854.64	312.60
17	कोण्डागांव	934.78	341.90
18	कोरबा	962.77	352.20
19	कोरिया	895.46	327.60
20	महासमुन्द	1,937.26	708.60
21	मुंगेली	874.30	319.80
22	नारायणपुर	706.00	258.30
23	रायगढ़	1,168.98	427.60
24	रायपुर	885.43	323.90
25	राजनांदगांव	973.80	356.20
26	सुकमा	853.43	312.20
27	सूरजपुर	971.09	355.20
28	सरगुजा	726.86	265.90
	महायोग	**26,209.38**	**9,587.00**

प्रपत्र- "ब"

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत आबंटित बजट (राशि लाख में)	कॉलम संख्या 3 अनुसार स्वीकृत आबंटित बजट के विरूद्ध वापस मंगाई गई बजट (राशि लाख में)	कॉलम संख्या 3 अनुसार स्वीकृत आबंटित बजट के विरूद्ध विमुक्त राशि (राशि लाख में)	कॉलम संख्या 5 अनुसार स्वीकृत आबंटित बजट के विरूद्ध विमुक्त राशि जो वापस मंगाई गई है। (राशि लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	बालोद	1,003.49	628.09	367.00	-
2	बलौदाबाजार	996.47	611.39	364.50	-
3	बलरामपुर	1,014.36	636.58	371.00	-
4	बस्तर	785.84	750.29	287.40	251.85
5	बेमेतरा	780.42	492.19	285.50	-
6	बीजापुर	819.53	802.33	299.70	282.50
7	बिलासपुर	771.70	454.37	282.20	-
8	दन्तेवाड़ा	770.49	37.24	281.80	-
9	धमतरी	818.24	678.42	299.30	159.48
10	दुर्ग	900.97	562.06	329.60	-
11	गरियाबंद	1,031.21	674.01	377.20	20.00
12	गौरेला--पेंड्रा--मरवाही	506.24	352.73	185.20	31.69
13	जांजगीर--चांपा	1,184.42	557.95	433.30	-
14	जशपुर	1,073.60	175.10	392.70	-
15	कांकेर	1,007.60	580.56	368.60	-
16	कवर्धा	854.64	807.84	312.60	265.80
17	कोण्डागांव	934.78	556.64	341.90	-
18	कोरबा	962.77	945.57	352.20	335.00
19	कोरिया	895.46	530.39	327.60	-
20	महासमुन्द	1,937.26	1,920.06	708.60	691.40
21	मुंगेली	874.30	576.37	319.80	21.87
22	नारायणपुर	706.00	539.36	258.30	91.66
23	रायगढ़	1,168.98	504.15	427.60	-
24	रायपुर	885.43	319.77	323.90	-
25	राजनांदगांव	973.80	30.25	356.20	-
26	सुकमा	853.43	530.05	312.20	-
27	सूरजपुर	971.09	563.31	355.20	-
28	सरगुजा	726.86	1.04	265.90	-
	महायोग	**26,209.38**	**15,818.10**	**9,587.00**	**2,151.25**

प्रपत्र- "स"

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 371 की जिलावार जानकारी						
क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	निविदा प्रक्रिया पूर्ण की संख्या	कार्य की स्थिति (संख्या) दिनांक 05 फरवरी 2022 की स्थिति में		
				अप्रारंभ	प्रक्रियाधीन	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
1	बालोद	38	31	31	0	0
2	बलोदाबाजार	39	0	0	0	0
3	बलरामपुर	37	29	0	29	0
4	बस्तर	43	1	0	1	0
5	बेमेतरा	28	21	0	20	1
6	बीजापुर	21	0	0	0	0
7	बिलासपुर	41	29	0	27	2
8	दन्तेवाड़ा	22	16	0	14	2
9	धमतरी	32	23	0	22	1
10	दुर्ग	30	22	0	22	0
11	गरीयाबंद	37	1	0	1	0
12	गौरेला-पेंड्रा	21	13	0	12	1
13	जांजगीर-चांपा	52	0	0	0	0
14	जशपुर	46	37	0	37	0
15	कांकेर	41	1	0	1	0
16	कवर्धा	28	2	0	1	1
17	कोण्डागांव	36	28	0	28	0
18	कोरबा	39	0	0	0	0
19	कोरीया	32	1	1	0	0
20	महासमुन्द	37	0	0	0	0
21	मुंगेली	30	23	23	0	0
22	नारायणपुर	18	11	0	11	0
23	रायगढ़	59	52	0	52	0
24	रायपुर	32	27	4	23	0
25	राजनांदगांव	57	0	0	0	0
26	सुकमा	20	16	0	13	3
27	सूरजपुर	39	32	0	32	0
28	सरगुजा	37	33	0	33	0
	कुल योग	992	449	59	379	11

प्रपत्र- "द"

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 371 की जिलावार जानकारी (दिनांक 05 फरवरी 2022 की स्थिति में)			
क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्य की संख्या	निविदा प्रक्रिया पूर्ण की संख्या
1	2	3	4
1	बालोद	38	31
2	बलौदाबाजार	39	0
3	बलरामपुर	37	29
4	बस्तर	43	1
5	बेमेतरा	28	21
6	बीजापुर	21	0
7	बिलासपुर	41	29
8	दन्तेवाड़ा	22	16
9	धमतरी	32	23
10	दुर्ग	30	22
11	गरियाबंद	37	1
12	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	21	13
13	जांजगीर–चांपा	52	0
14	जशपुर	46	37
15	कांकेर	41	1
16	कवर्धा	28	2
17	कोण्डागांव	36	28
18	कोरबा	39	0
19	कोरिया	32	1
20	महासमुन्द	37	0
21	मुंगेली	30	23
22	नारायणपुर	18	11
23	रायगढ़	59	52
24	रायपुर	32	27
25	राजनांदगांव	57	0
26	सुकमा	20	16
27	सूरजपुर	39	32
28	सरगुजा	37	33
	कुल योग	**992**	**449**

परिशिष्ट "पांच"

[प्रश्न संख्या 7 (क्र. 399) की जानकारी]

प्रपत्र- "अ"

संचालित योजना अंतर्गत एमपैनल्ड एजेंसियों को दिए गए कार्य सम्बन्धी जानकारी

क्र.	संचालित योजना	एमपैनल्ड एजेंसी का नाम	दिए गए कार्य का विवरण
1	सेण्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इनफॉर्मल एजुकेशन	किसी एजेंसी का एम्पेनलमेंट नहीं किया गया है	निरंक
2	स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु	फेडरेशन ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन	विश्वविद्यालय की देखरेख व मार्गदर्शन में योजना के कार्यान्वयन,प्रबंधन, मानव संसाधन, उपयुक्त संस्थाओं से साझेदारी व सहयोग बढ़ाने (सी एस आर व अनुदान), प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा योजना की निगरानी प्रणाली विकसित करना इत्यादि ।
		इंडिया स्किल्स प्रा. लिमिटेड	हितग्राहियों के मूल्यांकन कार्य हेतु – असेसमेंट एजेंसी
		द यूनिक हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी	
		ई एंड ई स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.	
		टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्रा. लिमिटेड	
		ग्लोबलरीच आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रा.लि.	
		विस्टास्किल्स प्रा. लिमिटेड	
		मंडे रियल्टी प्रा. लिमिटेड	
		ईडीयू वर्ल्ड कंसल्टेंसी प्रा. लिमिटेड	
		किविसोरी स्किल्स प्रा. लिमिटेड	
		शिक्षा और पर्यावरण प्रशिक्षण के लिए सोसायटी	
		सेंट्रल टेक्निकल कंसल्टेंसी	
		बीपीआरए कौशल सेवाएं	
		एडुवेंटेज प्रा. लिमिटेड	
		एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	
		एड्यूस कंसल्टेंसी ओपीसी प्रा. लिमिटेड	
		नई दिशा एजुकेशन सोसाइटी	
		आईएफआई डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड	
		साइबर डाइन प्रा. लिमिटेड	
		स्टार प्रोजेक्ट्स सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	
		बालमन एजुकेशनल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	
		इंडस एडुटेक प्रा. लिमिटेड	
		लास्ट माइल इनोवेशन प्रा. लिमिटेड	
		ऑरेंज करियर डेवलपमेंट सेंटर एलएलपी	

क्र.	संचालित योजना	एमपैनल्ड एजेंसी	दिए गए कार्य
2	स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु	नॉक टैलेंट	हितग्राहियों के मूल्यांकन कार्य हेतु – असेसमेंट एजेंसी
		ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट सेण्टर	
		छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भिलाई-3	
		अग्रदूत आकलन प्रा. लिमिटेड	
		इंदौर स्किल असेसमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	
		पारसमणि स्किल्स प्रा. लिमिटेड	
		अजूनी स्किल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	
		स्व. श्रीमती दुर्गा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट	
		फ्यूचर शेप टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	
		नया सवेरा संस्था	
		स्किल कंसल्टेंसी सर्विसेज	
		ग्लोबल असेसमेंट	
		सोसायटी फॉर वोकेशनल स्टडीज (एसवीएस)	
		ऊर्जा फाउंडेशन	
		सीआईएम इंडिया	
		आधार टेक एंड प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड	
		एम ई टी टी एल	
		स्योरविन क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रा. लिमिटेड	
		ज्ञानसोर्स ओपन कंसल्टेंसी प्रा. लिमिटेड	
		रिलायबल प्रोजेक्ट सर्विसेज (आरपीएस)	
		अभियान अकादमी	हितग्राहियों के ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्य हेतु - डायरेक्ट ट्रेनिंग कम टेस्टिंग सेण्टर
		सरोज नंदन शिक्षा विकास समिति	
		आशीष इन्फोटेक	
		दारुल उलूम गौसैया रज़विया	
		मार्ग कौशल केंद्र, रायपुर	
		नेताजी सुभाष कॉलेज	
		प्रगति कंप्यूटर प्रकाशन समिति	
		अटल प्रयास	
		सीडब्ल्यूओ सेण्टर	
		लाइफ स्किल अकादमी प्रा. लि. दंतेवाडा	
		लाइफ स्किल अकादमी प्रा. लि. कोंडागांव	
		छत्तीसगढ़ पांचजन्य फाउंडेशन	
		आइसेक्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर जगदलपुर	
		लाइवप्रो सॉफ्टेक प्रा. लिमिटेड	हितग्राहियों के ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्य हेतु – ट्रेनिंग एजेंसी
		जन सेवक समिति	
		आईसीई कंप्यूटर शिक्षा प्रा. लिमिटेड	
		फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसाइटी	
		सोपान	
		जन कल्याण सामाजिक संस्थान	

प्रपत्र- "ब"

स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु योजना अंतर्गत एजेंसियों के चयन हेतु निर्धारित मापदंड

(A) टेक्निकल पार्टनर के चयन के लिए पात्रता एवं मापदंड :-

क्र.	मूलभूत आवश्यकताएं	विशिष्ट आवश्यकताएं	आवश्यक दस्तावेज़
1.	आरएफपी दस्तावेज़ की खरीद का प्रमाण.	आवेदक को आरएफपी दस्तावेज की खरीद के बाद प्राप्त रसीद में उल्लिखित विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।	आरएफपी दस्तावेज की खरीद की वैध मूल रसीद।
2.	पंजीकरण	संगठन एक कानूनी रूप से पंजीकृत संस्था (ट्रस्ट/सोसाइटी/गैर-लाभकारी कंपनी) होना चाहिए और कम से कम 2 वर्षों के लिए अस्तित्व में होना चाहिए।	पंजीकरण / निगमन का प्रमाण पत्र
3.	पैन नंबर विवरण	संगठन के नाम पर वैध पैन नंबर	दस्तावेज़ की छायाप्रति
4.	कर में छूट	संगठन को आयकर अधिनियम के तहत 12 ए और 80 जी कर छूट होनी चाहिए।	उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज
5.	ऑडिट रिपोर्ट	2016-17 और 2017-18 के रूप में पिछले 2 वित्तीय वर्ष का विवरण।	पंजीकृत सीए/सीए फर्म द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट की प्रति
6.	आई. टी. आर.	2016-17 और 2017-18 के रूप में पिछले 2 वित्तीय वर्ष का विवरण।	आई.टी.आर. की कॉपी
7.	परियोजना प्रमुख	क्षेत्र परियोजना प्रबंधन और कौशल विकास सहित 10 वर्ष का अनुभव।	परियोजना प्रमुख का विस्तृत सी.वी.
8.	परियोजना प्रबंधन के लिए वांछित टीम का आकार और विवरण	संगठन में प्रासंगिक क्षेत्र के 5 में विशेषज्ञ होने चाहिए।	निर्धारित प्रारूप पर विधिवत हस्ताक्षर की हुई विशेषज्ञों की प्रोफाइल,
9.	छत्तीसगढ़ में कार्यालय	छत्तीसगढ़ में कार्यालय का पता।	निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए
10.	वचन पत्र	यह घोषित करने के लिए कि आवेदन करने वाला संगठन भारत में कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है।	निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा

क्र.	मूलभूत आवश्यकताएं	विशिष्ट आवश्यकताएं	आवश्यक दस्तावेज़
11.	तकनीकी प्रस्ताव	उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, पैमाने, निष्पादन रणनीति आदि को प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव।	निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना
12.	डिमांड ड्राफ्ट (अलग लिफाफे में रखना होगा)	प्रस्ताव शुल्क के एवज में 10,000/- (दस हजार मात्र) का डीडी जो वापसी योग्य नहीं है।	भिलाई में देय **रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय** के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी वैध डीडी

(B) ट्रेनिंग एजेंसी व डायरेक्ट ट्रेनिंग कम टेस्टिंग सेण्टर के चयन के लिए पात्रता एवं मापदंड :-

- पैरेंट आर्गेनाइजेशन की पृष्ठभूमि
- पैरेंट आर्गेनाइजेशन के निगमन/पंजीकरण का प्रमाण पत्र (फर्मों/कंपनियों/सोसाइटी/ट्रस्ट/सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से, जो भी लागू हो)
- पैरेंट आर्गेनाइजेशन का स्थायी खाता संख्या (पैन)
- ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस (पी एंड एल) स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जैसे प्रमाणों के साथ पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन का टर्नओवर और नेट वर्थ
- पैरेंट आर्गेनाइजेशन में अधिकृत व्यक्ति का ई-मेल और मोबाइल नंबर
- निर्दिष्ट आवेदन शुल्क जमा किया जाना चाहिए
- स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन प्रारूप

(C) असेसमेंट एजेंसी के चयन के लिए पात्रता एवं मापदंड :-

- एक पंजीकृत मूल/इकाई होना चाहिए।
- उम्मीदवारों के मूल्यांकन का अनुभव होना चाहिए।
- असेसमेंट बॉडी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाला संगठन के पास मूल्यांकन सामग्री विकसित करने के लिए एक सक्षम टीम होनी चाहिए। इस टीम को एनएसक्यूएफ स्तर आधारित मूल्यांकन सामग्री विकसित करने का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए।
- असेसमेंट बॉडी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने वाला संगठन, पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को उनके पैनल में शामिल मूल्यांकनकर्ताओं के सहयोग से पूर्ण करने में सक्षम होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में इसे किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं है।
- आवेदन पत्र भरकर आवेदन जमा किया जाना चाहिए
- स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन प्रारूप

प्रपत्र- "स"

एजेंसी से एम्पेनलमेंट के लिए ली गयी राशि का विवरण

1. सेण्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इनफॉर्मल एजुकेशन योजना – निरंक
2. स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु योजना चूंकि सेल्फ सस्टेनेबल है अतः इसे विकसित, प्रचारित व संचालित करने के सभी निवेश चयनित टेक्निकल पार्टनर - फेडरेशन ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन को करने थे, अतः इनसे कोई एम्पेनलमेंट राशि नहीं ली गयी। हालांकि, ओरिएंटेशन प्रशिक्षण व असेसमेंट कार्य हेतु चयनित ट्रेनिंग एजेंसी, डायरेक्ट ट्रेनिंग कम टेस्टिंग सेण्टर व असेसमेंट एजेंसी से स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु की गाइडलाइन के अनुसार एम्पेनलमेंट राशि ली गयी थी जो कि निम्नानुसार है –

क्र	एजेंसी का प्रकार	एम्पेनलमेंट राशि (प्रति एजेंसी)	कुल चयनित एजेंसियों की संख्या	कुल प्राप्त राशि (लाख में)
1	ट्रेनिंग एजेंसी	5 लाख (5 हज़ार प्रति सेण्टर के अनुरूप कुल 100 ट्रेनिंग कम टेस्टिंग सेण्टर) स्थापित करने की क्षमता)	6	30
2	डायरेक्ट ट्रेनिंग कम टेस्टिंग सेण्टर	10 हज़ार	13	1.3
3	असेसमेंट एजेंसी	25 हज़ार आवेदन शुल्क + 10 हज़ार प्रति सेक्टर अथवा 2 लाख सभी सेक्टर	43	57.85
	योग		62	89.15

प्रपत्र- "द"

ऐजेंसी से एम्पेनलमेंट के लिए प्राप्त राशि के व्यय का मदवार विवरण

क्र	मद का विवरण	व्यय राशि (लाख में)
1	कौशल प्रमाणन शुल्क	14.26
2	योजना के कार्यान्वयन,प्रबंधन, मानव संसाधन, उपयुक्त संस्थाओं से साझेदारी व सहयोग बढ़ाने, प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा योजना की निगरानी प्रणाली विकसित करना इत्यादि।	74.89
	योग	89.15

प्रपत्र- "इ"

योजनाओं से लाभान्वितों की एजेंसीवार, सेक्टरवार जानकारी

1. सेण्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इनफॉर्मल एजुकेशन योजना से कुल लाभान्वित - 1983 (उपलब्ध कोर्स किसी विशिष्ट सेक्टर से सम्बंधित नहीं होते अपितु रोजगारोन्मुखी शिक्षा व कौशल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित व विश्वविद्यालय परिसर में ही संचालित किया जाता है)
2. स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु योजना से कुल लाभान्वित – 623

क्र	एजेंसी का नाम	सेक्टर का नाम	लाभान्वितों की संख्या
1	लाइवप्रो सॉफ्टेक प्रा. लिमिटेड	आई टी / आई टी ई एस	42
2	आईसीई कंप्यूटर शिक्षा प्रा. लिमिटेड	आई टी / आई टी ई एस	64
3	लाइफ स्किल अकादमी प्रा. लिमिटेड, दंतेवाड़ा	आई टी / आई टी ई एस	40
4	आल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी (आइसेक्ट)	आई टी / आई टी ई एस	204
5	जन सेवक समिति	हेंडीक्राफ्ट	115
		कंस्ट्रक्शन	158
योग			623

परिशिष्ट "छ:"

[प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1017) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र- "अ"

(क) प्रदेश में 23 सार्वजनिक उपक्रम है, उक्त उपक्रम के कार्यक्षेत्र निम्नानुसार हैः–

क्र.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	कार्यक्षेत्र
1	**छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन**	वर्तमान में विघटित परिवहन निगम के परिसमापन एवं पुनर्वास का कार्य कर रहा है। भविष्य में राज्य की सिंचाई परियोजनाओं का कार्य भी निगम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
2	**छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड**	राज्य के गरीब जनता को उ.मू.दु. के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न / नमक / शक्कर / गुड़ / चना आदि उपलब्ध कराता है।
3	**छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम**	प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने हेतु बिगड़े वन क्षेत्रों में सागौन, बांस एवं मिश्रित प्रजाति का वृक्षारोपण, वन वर्धनिक कार्य अंतर्गत विरलन एवं विदोहन तथा खदानी क्षेत्रों में पुनर्वास हेतु डम्प एवं नानडम्प क्षेत्रों में मिश्रित प्रजाति का वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।
4	**छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्त वित्त एवं विकास निगम**	यह नेशनल हैण्डीकैप्डफायनेंस एण्ड डेवेलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली की चौनेलाइजिंग एजेंसी है, जो नोशनल एलोकेशन के तहत ऋण प्राप्त कर दिव्यांगजनों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण राशि उपलब्ध कराती है।
5	**छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड**	इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में बैंकेबल / वायेबल रेल्वे लाईनों का विकास एवं निर्माण करना।
6	**छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉपोरेशन**	छ.ग. राज्य में खाद्यान्न एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण क्षेत्र में कार्यरत है।
7	**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड**	यह एव निवेशक कंपनी है, जो सहायकी कंपनियाँ तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंशपूंजी में निवेश एवं उनमें समन्वय का कार्य करती है।
8	**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड**	छ.ग. राज्य में विद्युत उत्पादन के कार्य में कार्यरत है।
9	**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड**	छ.ग. राज्य में विद्युत पारेषण के कार्य में कार्यरत है।
10	**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड**	छ.ग. राज्य में विद्युत वितरण एवं विद्युत के क्रय विक्रंय के कार्य में कार्यरत है।
11	**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड**	छ.ग. राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में विद्युत के क्रय विक्रय के कार्य में कार्यरत है।

12	**नया रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड**	स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा–निर्देश अनुरूप विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। उपक्रम गठन का उद्देश्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा निर्देश अनुरूप स्वीकृति परियोजनाओं हेतु उपयोग किया जाना है।
13	**छत्तीसगढ़ रोड़ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवहलपमेट कार्पोरेशन लिमिटेड**	लोक निर्माण का एक सार्वजनिक उपक्रम जो कि सड़क/पुल व आधारभूत संरचना के निर्माण व उन्नयन से संबंधित है।
14	**छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड**	छत्तीसगढ़ प्रदेश में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. मुख्यालय रायपुर कार्यरत है।
15	**छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड**	फुटकर मदिरा विक्रय का कार्य करता है।
16	**छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड**	विदेशी मदिरा का भण्डारण एवं वितरण का कार्य करता है।
17	**छत्तीसगढ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड**	संपूर्ण राज्य में पुलिस विभाग के आवासीय भवन, थाना भवन, बटालियन के प्रशासकीय एवं अन्य भवनों का निर्माण करता है।
18	**छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड**	स्वास्थ्य के क्षेत्र मे कार्यरत।
19	**रायपुर स्मॉट सिटी लिमिटेड**	स्मार्ट सिटी मिशन क्रियावयन के क्षेत्र में कार्यरत है।
20	**छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड**	निगम राज्य में औद्योगिक विकास एवं संवर्धन के क्षेत्र मे कार्य करता है।
21	**बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड**	स्मार्ट सिटी मिशन क्रियावयन के क्षेत्र में कार्यरत है।
22	**छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड**	वर्तमान में बैंक/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण को राज्यांश की राशि उपलब्ध करा रहीं है।
23	**छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड**	राज्य के खनिजों का वैज्ञानिक अन्वेषण, वाणिज्यिक दोहन एवं व्यवहार्य व्यपार हेतु कार्य किया जाता है।

प्रपत्र- "ब"

(ख) हानि में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम निम्नानुसार हैः–

क्र.	हानि में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम का नाम
1	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन
2	छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड।
3	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर
4	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेंडिग कंपनी लिमिटेट, रायपुर
5	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवहलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन
8	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
9	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
10	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

परिशिष्ट "सात"

[प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1475) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रदेश में संचालित भवनविहीन दिव्यांग स्कूल

क्र.	जिला	दिव्यांग स्कूल संचालित	स्वयं के भवन नहीं है।
1	*2*	*3*	*4*
1	रायपुर	15	05
2	गरियाबंद	02	01
3	महासमुंद	02	—
4	धमतरी	04	03
5	कबीरधाम	01	—
6	राजनांदगांव	04	02
7	दुर्ग	06	05
8	बस्तर	02	—
9	नारायणपुर	01	—
10	दन्तेवाड़ा	01	—
11	बीजापुर	01	01
12	कांकेर	01	01
13	बिलासपुर	05	04
14	कोरबा	02	—
15	जांजगीर—चांपा	03	01
16	रायगढ़	03	01
17	सरगुजा	03	—
18	सूरजपुर	01	01
19	जशपुर	01	—
20	कोरिया	02	02
योग:—		60	27

परिशिष्ट "आठ"

[प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1519) के भाग (क) की जानकारी]

ग्रीन हाउस व पाली हाउस निर्माण करने वाली संस्था, निर्माण दर, कुल निर्माण लागत की वर्षवार, जिलेवार जानकारी

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	जिला	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	इकाई	लाभान्वित कृषकों की संख्या	निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी.)	निर्मित अधोसंरचना का क्षेत्रफल	अधोसंरचना की लागत	प्रदाय अनुदान राशि	निर्माणकर्ता संस्था/कम्पनी/फर्म का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	दुर्ग	1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	1	0.00890	2000	17.80	8.90	इंडियन ग्रीन हाउस प्रा.लि. पुणे	कृषकों के द्वारा स्वयं से निर्माण कराया गया प्रावधान अनुरूप 50 प्रतिशत अनुदान की राशि कृषकों के खाते में हस्तानांतरित (डी.बी.टी.) किया गया है।
		2019-20	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	5	0.00844	18000	152.84	76.42	इंडियन ग्रीन हाउस प्रा.लि. पुणे	
				ग्रीन हाउस (फेन एंड पैड)	वर्ग मीटर	1	0.01420	2000	28.40	14.20	एम.बी.इन्टरप्राईजेस रायपुर	
		योग				6		20000	181.24	90.62		
		2020-21	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	5	0.00844	15079	128.18	64.10	इंडियन ग्रीन हाउस प्रा.लि. पुणे/महेंद्र टॉप ग्रीन हाउस नासिक	
		1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	8	0.00890	7400	18.51	9.26	फार्म मेकर रायपुर	
		महायोग				20		44479	345.73	172.88		

क्र.	जिला	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	इकाई	लाभान्वित कृषको की संख्या	निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी.)	निर्मित अधोसंरचना की निर्मित क्षेत्रफल	अधोसंरचना की लागत	प्रदाय अनुदान राशि	निर्माणकर्ता संस्था/कम्पनी/फर्म का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	गरियाबंद	2019-20	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मी	1	0.0106	4000	42.40	21.20	फार्म मेकर रायपुर	कृषको के द्वारा स्वयं से निर्माण कराया गया प्रावधान अनुरूप 50 प्रतिशत अनुदान की राशि कृषकों के खाते में हस्तांतरित (डी.बी.टी.) किया गया है।
		योग				1		4000	42.40	21.20		
3	जगदलपुर	01 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	1	0.00854	2900	29.23	14.62	छ0ग0 राज्य बीज निगम जगदलपुर	अनुदान राशि 50 प्रतिशत का भुगतान छ.ग. राज्य बीज निगम को किया गया है।
		योग				1		2900	29.23	14.62		
4	रायगढ़	2021-22 (31 जनवरी 2022)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	1	0.0089	2000	17.79	8.89	साई ग्रीन हाउस देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड रामनगर अवधपुरी भोपाल	कृषको के द्वारा स्वयं से निर्माण कराया गया प्रावधान अनुरूप 50 प्रतिशत अनुदान की राशि कृषकों के खाते में हस्तांतरित (डी.बी.टी.) किया गया है।
		योग				1		2000	17.79	8.89		

क्र.	जिला	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	इकाई	लाभान्वित कृषकों की संख्या	निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी.)	निर्मित अधोसंरचना की निर्मित क्षेत्रफल	अधोसंरचना की लागत	प्रदाय अनुदान राशि	निर्माणकर्ता संस्था/कम्पनी/फर्म का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	रायपुर	2019-20	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	1	0.00844	4000	33.76	16,880	साहू एग्रोटेक, मुंगेली	कृषको के द्वारा स्वयं से निर्माण कराया गया प्रावधान अनुरूप 50 प्रतिशत अनुदान की राशि कृषकों के खाते में हस्तानांतरित (डी.बी.टी.) किया गया है।
						1	0.00844	3000	25.32	12,660	शिवम् एग्रो टेक रायपुर	
						2	0.00844	8000	67.52	33.760	नेचर टच रायपुर	
						1	0.00890	2000	17.8	8.900	नेचर टच रायपुर	
						1	0.00935	1000	9.35	4.675	नेचर टच रायपुर	
		योग				6		18000	153.75	76,875		
	रायपुर	2019-20	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस - फैन एंड पैड सिस्टम	वर्ग मीटर	1	0.0142	1150	16.33	8.165	श्रेया एग्रो	कृषको के द्वारा स्वयं से निर्माण कराया गया प्रावधान अनुरूप 50 प्रतिशत अनुदान की राशि कृषकों के खाते में हस्तानांतरित (डी.बी.टी.) किया गया है।
		2020-21		ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)		2	0.00844	8000	67.52	33.760	हितासू कॉपरिसन	
						1	0.00890	2000	17.80	8.900	एम.बी. इन्टरप्राईजेस	
						3		10000	85.32	42.660		
		2021-22 (31 जनवरी 2022)		ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)		2	0.00890	4000	35.6	17.800	नेचर टच	
		योग				12		33150	291.00	145.50		

क्र.	जिला	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	इकाई	लाभान्वित कृषकों की संख्या	निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी.)	निर्मित अधोसंरचना की निर्मित क्षेत्रफल	अधोसंरचना की लागत	प्रदाय अनुदान राशि	निर्माणकर्ता संस्था/कम्पनी/फर्म का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	सरगुजा	2021-22 (31 जनवरी 2022)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन हाउस - फैन एंड पैड सिस्टम	वर्ग मीटर	1	-	2000	33.00	0,00	-	कार्य प्रगतिरत
		योग				1		2000	33.00	0,00		
7	धमतरी	2020-21	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	पाली हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	2	0.00935	2000	18.70	9.35	जय गुरुदेव एग्रो	कृषकों के द्वारा स्वयं से निर्माण कराया गया प्रावधान अनुरूप 50 प्रतिशत अनुदान की राशि कृषकों के खाते में हस्तानांतरित (डी.बी.टी.) किया गया है।
		योग				2		2000	18.70	9.35		
8	महासमुंद	01 अप्रैल 2021 से जनवरी 2022	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पुनर्वधीकरण)	पाली हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	5	0.00844	15071	127.19	63.59962	महालक्ष्मी पॉली हाउस सर्विस, मालेगांव (महाराष्ट्र)	कृषकों के द्वारा स्वयं से निर्माण कराया गया प्रावधान अनुरूप 50 प्रतिशत अनुदान की राशि कृषकों के खाते में हस्तानांतरित (डी.बी.टी.) किया गया है।
				योग		5		15071	127.19	63.59962		
9	नारायणपुर	2019-20	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	पाली हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	4	0.0160	2000	21.20	10.60	आर.डी. ट्रेडर्स भैरव सोसायटी पचपेढ़ीनाका रायपुर	
			योग			4		2000	21.20	10.60		

क्र.	जिला	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	इकाई	लाभान्वित कृषकों की संख्या	निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी.)	निर्मित अधोसंरचना की निर्मित क्षेत्रफल	अधोसंरचना की लागत	प्रदाय राशि	निर्माणकर्ता संस्था/कम्पनी/फर्म का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	कोरबा	2020-21	डीएमएफ	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	मीटर वर्ग	-	0.00981	2000	19.63	15.71	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड कोरबा	कृषि विज्ञान केन्द्र लखनपुर कटघोरा जिला-कोरबा में स्थापित किया गया है अब तक लागत का 80 प्रतिशत भुगतान छ.ग. राज्य बीज निगम को किया गया है। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान डी.एम.एफ. से राशि प्राप्त होने उपरांत किया जावेगा।
	कोरबा	2020-21	डीएमएफ	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	-	0.00934	4000	37.38	29.90	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड कोरबा	शासकीय उद्यान रोपणी पंडरीपानी विकासखंड कटघोरा जिला- कोरबा में स्थापित अब तक लागत का 80 प्रतिशत भुगतान छ.ग. राज्य बीज निगम को किया गया है। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान डी.एम.एफ. से राशि प्राप्त होने उपरांत किया जावेगा।
	कोरबा	2020-21	डीएमएफ	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	वर्ग मीटर	-	0.00934	4000	37.38	29.90	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड कोरबा	शासकीय उद्यान रोपणी पोड़ीलाफा विकासखंड पाली जिला- कोरबा में स्थापित अब तक लागत का 80 प्रतिशत भुगतान छ.ग. राज्य बीज निगम को किया गया है। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान डी.एम.एफ. से राशि प्राप्त होने उपरांत किया जावेगा।
	कोरबा	2020-21	डीएमएफ	ग्रीन हाउस (नेचुरल वेन्टीलेटेड)	मीटर वर्ग	-	0.00981	2000	19.63	15.71	छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड कोरबा	शासकीय उद्यान रोपणी नगोई विकासखंड पोड़ीउपरोड़ा जिला- कोरबा में स्थापित अब तक लागत का 80 प्रतिशत भुगतान छ.ग. राज्य बीज निगम को किया गया है। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान डी.एम.एफ. से राशि प्राप्त होने उपरांत किया जावेगा।
			योग					12000	114.03	91.22		
			महायोग			47		119600	1040.27	537.86		

मार्च, 2022 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोंत्तर सूची से संबंधित

शुद्धि पत्रों की सूची

मार्च, 2022 सत्र में प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्र

क्रमांक	दिनांक	प्रश्न संख्या(क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन
1	08.03.2022	ता.प्र.सं. 12 (क्र.–127)	वन एवं जलवायु परिवर्तन	संशोधन
2	08.03.2022	ता.प्र.सं. 33 (क्र.–424)	वन एवं जलवायु परिवर्तन	संशोधन
3	08.03.2022	अता.प्र.सं. 30 (क्र.–411)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संशोधन
4	08.03.2022	अता.प्र.सं. 58 (क्र.–430)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संशोधन
5	**दिनांक 08 मार्च, 2022 से संबंधित शुद्धि पत्र**			
6	09.03.2022	ता. प्र.सं. 03 (क्र.–365)	कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	संशोधन
7	09.03.2022	ता. प्र.सं. 06 (क्र.–533)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
8	**दिनांक 09 मार्च, 2022 से संबंधित शुद्धि पत्र**			
9	10.03.2022	ता.प्र.सं. 13 (क्र.–337)	गृह	संशोधन
10	10.03.2022	अता.प्र.सं. 15 (क्र.–388)	गृह	संशोधन
11	11.03.2022	ता.प्र.सं. 06 (क्र.–234)	पशुधन विकास	संशोधन
12	**दिनांक 11 मार्च, 2022 से संबंधित शुद्धि पत्र**			
13	**दिनांक 14 मार्च, 2022 से संबंधित शुद्धि पत्र**			
14	15.03.2022	ता. प्र.सं. 04 (क्र.–1050)	वन एवं जलवायु परिवर्तन	संशोधन
15	15.03.2022	ता. प्र.सं. 08 (क्र.–435)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संशोधन
16	15.03.2022	ता. प्र.सं. 09 (क्र.–1057)	खनिज साधन	संशोधन
17	15.03.2022	ता. प्र.सं. 14 (क्र.–971)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संशोधन
18	**दिनांक 15 मार्च, 2022 से संबंधित शुद्धि पत्र**			
19	16.03.2022	ता. प्र.सं. 09 (क्र.–1092)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
20	16.03.2022	ता. प्र.सं. 18 (क्र.–1066)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
21	16.03.2022	ता. प्र.सं. 19 (क्र.–1152)	वाणिज्यिक कर (जी. एस.टी)	संशोधन
22	21.03.2022	ता. प्र.सं. 02 (क्र.–1328)	खाद्य एवं नागारिक, आपूर्ति एवं उपभेक्ता सरंक्षण	संशोधन
23	**दिनांक 22 मार्च, 2022 से संबंधित शुद्धि पत्र**			
24	23.03.2022	ता. प्र.सं. 08 (क्र.–1201)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
25	23.03.2022	ता. प्र.सं. 18 (क्र.–1399)	राजस्व एवं आपदा, प्रबंधन, पुर्नवास	संशोधन
26	24.03.2022	ता. प्र.सं. 22 (क्र.–470)	विधि एवं विधायी कार्य	संशोधन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 08-03-2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 21-22 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 12 के "परिशिष्ट- 02" के पृष्ठ क्रमांक.... (क्रमांक-127) में से निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

उत्तर के भाग 'ग' में " कैम्पा मद के स्वीकृत कार्यों में गरियाबंद जिला के गरियाबंद वनमंडल में उक्त अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद वनमंडल में वर्ष 2020-21 में 01 कार्य वनमार्ग मिट्टी मुरूम उन्नयन कार्य बेसराझर से देवधारा दूरी 2.5 कि.मी. पी.डब्ल्यू.डी. रोड से भाताडिग्गी वनमार्ग 1.7 कि.मी. के भुगतान की शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत की जांच प्रगति पर है, जिसकी विस्तृत जानकारी "परिशिष्ट-02" में दर्शित है। का लेख किया गया था ।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर/पुनरीक्षित परिशिष्ट पढ़ा जावें :-

उत्तर के भाग 'ग' में " कैम्पा मद के स्वीकृत कार्यों में उदन्ती सीतानदी टाईगर रिजर्व, गरियाबंद वनमंडल में वर्ष 2020-21 में 01 कार्य वनमार्ग मिट्टी मुरूम उन्नयन कार्य बेसराझर से देवधारा दूरी 2.5 कि.मी. पी.डब्ल्यू.डी. रोड से भाताडिग्गी वनमार्ग 1.7 कि.मी. के भुगतान की शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत की जांच प्रगति पर है तथा गरियाबंद जिला के गरियाबंद वनमंडल में वर्ष 2021-22 में 09/02/2022 तक की अवधि में 02 शिकायतें प्राप्त हुई है । शिकायत की जांच प्रगति पर है । शिकायतों की विस्तृत जानकारी पुनरीक्षित "परिशिष्ट-02" में दर्शित है।"

(संलग्न पुनरीक्षित "परिशिष्ट-02")

(मोहम्मद अकबर)
वन मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

पुनरीक्षित परिशिष्ट – 02

क्रमांक–127, द्वारा श्री धनेंद्र साहू सदस्य विधानसभा की जानकारी

जिला का नाम	वनमंडल का नाम	वर्ष	कार्य का नाम जिसमें अनियमितता पूर्ण भुगतान की शिकायत प्राप्त हुई है	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	शिकायतकर्ता का नाम/पता	शिकायत कहां प्रस्तुत किया गया	कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण (शिकायत संबंधी समस्त पत्राचार की छायाप्रति उपलब्ध करायें)
1	2	3	4	5	6	7	8
गरियाबंद	उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद	2020-21	वनमार्ग मिट्टी मुरूम उन्नयन कार्य बेसराझर से देवधारा वनमार्ग, 2.5 कि.मी. पी.डब्ल्यू.डी. रोड से भाताडिग्गी वनमार्ग,1.7 कि.मी.	निर्माण कार्य में अनियमितता	श्री यीशु शर्मा, मु.पोस्ट तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)	कलेक्टर कार्यालय, जिला गरियाबंद (छ.ग.)	श्री यीशु शर्मा निवासी मैनपुर जिला गरियाबंद द्वारा अनियमितता की शिकायत कलेक्टर, जिला गरियाबंद के समक्ष शिकायत दिनांक 12.10.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसे उप निदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद को दिनांक 23.10.2021 को जांच कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर उप निदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्टेनो/आर/4047 दिनांक 27.10.2021 के माध्यम से सहायक संचालक तौरेंगा को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया, शिकायत की जांच प्रगति पर है।
गरियाबंद	गरियाबंद	2021–22 में 09/02/2022 तक	छिन्द/उन्मूलन, नरवा कार्य, नर्सरी, भवन निर्माण तथा रोड निर्माण में भ्रष्टाचार किये जाने, वन प्रबंधन समितियो से राशि आहरण कर बन्दरबांट, बिना कार्य कराये राशि आहरण करना तथा निर्माण कार्यो में सामग्री प्राक्कलन से कम उपयोग करना	बिना कार्य कराये राशि आहरण करना तथा निर्माण कार्यों में सामग्री प्राक्कलन से कम उपयोग करना।	मान. श्री अमितेश विधायक राजिम	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ0ग0 नवा रायपुर	उक्त शिकायत के संबंध में अ.प्र.मु.व.सं.(सत./शिका.) द्वारा उनके पत्र क्रमांक/नि.स./शिका./3886, दिनांक 22.12.2021 को 03 सदस्य जांच समिति गठित की गई है, जिसमें उपवनमंडलाधिकारी राजिम, उपवनमंडलाधिकारी देवभोग तथा परिक्षेत्रा अधिकारी परसुली को नियुक्त किया गया है। जॉच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
			पौधा तैयारी, पौधा रोपण, छिन्द/यूपीटोरियम उन्मूलन रखरखाव, वन्यप्राणी जलाशय निर्माण कार्य पार्ट–2, फॉरेस्ट कॉलोनी गरियाबंद में 80 लाख रू. की सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार एवं वन प्रबंधन समितियों में आस्थामूलक कार्य	निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता	श्री शेख करीम लोकतंत्रा कांग्रेस पार्टी सड़क नं. 01 कसारीडाह दुर्ग	प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , मंत्रालय नवा रायपुर	उक्त शिकायत के संबंध में अ.प्र.मु.व.सं.(सत./शिका.) द्वारा उनके पत्र क्रमांक/नि.स./शिका./3887, दिनांक 22.12.2021 को 03 सदस्य जांच समिति गठित की गई है, जिसमें उपवनमंडलाधिकारी राजिम, उपवनमंडलाधिकारी देवभोग तथा परिक्षेत्रा अधिकारी परसुली को नियुक्त किया गया है। जॉच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 08-03-2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 33-34 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 33 के "परिशिष्ट-01" के पृष्ठ क्रमांक ...... (क्रमांक - 424) में से निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

उत्तर के भाग 'क' में "जी हाँ। अनियमितता एवं दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विवरण "परिशिष्ट-01" में दर्शित है, का लेख किया गया था तथा उत्तर के भाग 'ख' में "जानकारी "परिशिष्ट-02" में दर्शित है तथा इन कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायतों तथा की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी "परिशिष्ट-01" में दर्शित है, का लेख किया गया था ।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर/पुनरीक्षित परिशिष्ट पढ़ा जावें :-

उत्तर के भाग 'क' एवं 'ख' की जानकारी पुनरीक्षित "परिशिष्ट-एक" में दर्शित है"

(संलग्न पुनरीक्षित "परिशिष्ट-एक")

(मोहम्मद अकबर)
वनमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

परिशिष्ट—01

तारांकित प्रश्न क्रमांक—424, द्वारा श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य विधानसभा
(01 जनवरी 2019 से दिनांक 09.02.2022 तक प्राप्त शिकायतों की जानकारी)

जिला का नाम	वनमंडल का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	दोषी अधिकारी/कर्मचारी का विवरण	की गई कार्यवाही विवरण
2	3	4	5	6
गरियाबंद	गरियाबंद	तत्कालीन उपवनमण्डलाधिकारी देवभोग के निरीक्षण उपरांत 03 नग एनीकट निर्माण कार्य में जांच की कार्यवाही में जिसमे भंडार क्रय नियम का उल्लंघन एवं कार्य माप के अनुरूप नही होना पाया गया है	(1) श्री आर.पी. दुबे, तत्कालीन उप वनमंडलाधिकारी, देवभोग (सेवानिवृत्त)	सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
			(2) श्री दशरथ लाल सिन्हा, सेवानिवृत्त, वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी, मैनपुर	
			(3) श्री कैलाश चंद भोई वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक मैनपुर	सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
गरियाबंद	गरियाबंद	मु.व.स. (सत./शिका.) छ.ग. नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/1637 दिनांक 28.10.2020 द्वारा पर्यावरण संरक्षण मंच गरियाबंद (छ.ग.) के शिकायत के संबंध में जांच प्रतिवेदन चाही गई थी। (उक्त तालाब निर्माण कार्य में भंडार क्रय नियम का उल्लंघन एवं कार्य माप के अनुरूप नही होना पाया गया है) (तालाब निर्माण कार्य 04 नग तालाब कक्ष क्रमांक— 849, 850, 854 एवं 694)	(1) श्री आर.सी. मेश्राम, तत्कालीन उप वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद,	सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
			(2) श्री उद्योराम ध्रुव, उप वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी, धवलपुर	
			(3)श्री लक्ष्मण बापू राव अलोने, उप वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी, नवागढ़	

परिशिष्ट–01

तारांकित प्रश्न क्रमांक–424, द्वारा श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य विधानसभा

(01 जनवरी 2019 से दिनांक 09.02.2022 तक प्राप्त शिकायतों की जानकारी)

जिला का नाम	वनमंडल का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	दोषी अधिकारी/कर्मचारी का विवरण	की गई कार्यवाही विवरण
2	3	4	5	6
गरियाबंद	गरियाबंद	शिकायतकर्ता – श्री मुकेश कुमार सोनी, ग्राम मैनपुर, जिला–गरियाबंद द्वारा शिकायत किया गया। (उक्त तालाब निर्माण कार्य में भंडार कय नियम का उल्लंघन एवं कार्य माप के अनुरूप नही होना पाया गया है) (तालाब निर्माण कार्य 01 नग तालाब कक्ष क्रमांक–1000)	(1) श्री आर.पी. दुबे, तत्कालीन उप वनमंडलाधिकारी, देवभोग (सेवानिवृत्त)	सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
			(2) श्री दशरथ लाल सिन्हा, सेवानिवृत्त, वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी,मैनपुर	
			(3) श्री कपूर चंद बरिहा, तत्का. परिक्षेत्र सहायक गौरघाट	सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
			(4) श्री साहेब लाल बंजारे, तत्का. वनरक्षक	
गरियाबंद	गरियाबंद	तत्कालीन उपवनमण्डलाधिकारी देवभोग के निरीक्षण उपरांत तालाब (उक्त तालाब निर्माण कार्य में भंडार कय नियम का उल्लंघन एवं कार्य माप के अनुरूप नही होना पाया गया है) (निर्माण कार्य 01 नग तालाब कक्ष क्रमांक–1041)	(1) श्री आर.पी. दुबे, तत्कालीन उप वनमंडलाधिकारी, देवभोग (सेवानिवृत्त)	सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
			(2) श्री दशरथ लाल सिन्हा, सेवानिवृत्त, वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी,मैनपुर	

परिशिष्ट—01

तारांकित प्रश्न क्रमांक—424, द्वारा श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य विधानसभा

(01 जनवरी 2019 से दिनांक 09.02.2022 तक प्राप्त शिकायतों की जानकारी)

जिला का नाम	वनमंडल का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	दोषी अधिकारी/कर्मचारी का विवरण	की गई कार्यवाही विवरण
2	3	4	5	6
गरियाबंद	गरियाबंद	शिकायतकर्ता —श्री अमितेश शुक्ल, विधायक राजिम विधानसभा, जिसमें कैम्पा मद के अंतर्गत छिन्द/उन्मूलन, नरवा कार्य, नर्सरी, भवन निर्माण तथा रोड निर्माण में भ्रष्टाचार किये जाने, वन प्रबंधन समितियो से राशि आहरण कर बन्दरबांट, बिना कार्य कराये राशि आहरण करना तथा निर्माण कार्यों में सामग्री प्राक्कलन से कम उपयोग करना ।	श्री मनोज चन्द्राकर, तत्कालीन उप वनमंडलाधिकारी गरियाबंद	उक्त शिकायत के संबंध में अ.प्र.मु.व.सं.(सत./शिका.) द्वारा उनके पत्र क्रमांक/नि.स./शिका./3886, दिनांक 22.12.2021 को 03 सदस्य जांच समिति गठित की गई है, जिसमें उपवनमंडलाधिकारी राजिम, उपवनमंडलाधिकारी देवभोग तथा परिक्षेत्र अधिकारी परसुली को नियुक्त किया गया है। जाँच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

परिशिष्ट—01

तारांकित प्रश्न क्रमांक—424, द्वारा श्री डमरुधर पुजारी, सदस्य विधानसभा
(01 जनवरी 2019 से दिनांक 09.02.2022 तक प्राप्त शिकायतों की जानकारी)

जिला का नाम	वनमंडल का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	दोषी अधिकारी/कर्मचारी का विवरण	की गई कार्यवाही विवरण
2	3	4	5	6
गरियाबंद	गरियाबंद	शिकायतकर्ता—श्री शेख करीम, लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी सड़क नं.01 कसारीडाह दुर्ग गरियाबंद वन मंडल के अंतर्गत विगत दो वर्षों में कराये गये कार्यों जिसमें कैम्पा मद अंतर्गत पौधा तैयारी, पौधा रोपण, छिन्द/यूपीटोरियम उन्मूलन रखरखाव, वन्यप्राणी जलाशय निर्माण कार्य पार्ट—2, फॉरेस्ट कॉलोनी गरियाबंद में 80 लाख रू. की सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार एवं वन प्रबंधन समितियों में फर्जी कार्य दर्शाकर धवलपुर परिक्षेत्र की बेगरपाला समिति से आस्था मूलक कार्यो के नाम पर 80 लाख रू. का आहरण एवं नवागढ़ समिति खातो में लगभग 3 करोड़ आस्था मूलक एवं अन्य कार्यों के नाम से डाले जाकर बिना कोई कार्य कराए राशि आहरण किया गया है।		उक्त शिकायत के संबंध में अ.प्र.मु.व.सं.(सत./शिका.) द्वारा उनके पत्र क्रमांक/नि.स./शिका./3887, दिनांक 22.12.2021 को 03 सदस्य जांच समिति गठित की गई है, जिसमें उपवनमंडलाधिकारी राजिम, उपवनमंडलाधिकारी देवभोग तथा परिक्षेत्र अधिकारी परसुली को नियुक्त किया गया है। जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट–01

तारांकित प्रश्न क्रमांक–424, द्वारा श्री डमरुधर पुजारी, सदस्य विधानसभा

(01 जनवरी 2019 से दिनांक 09.02.2022 तक प्राप्त शिकायतों की जानकारी)

जिला का नाम	वनमंडल का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	दोषी अधिकारी/कर्मचारी का विवरण	की गई कार्यवाही विवरण
2	3	4	5	6
गरियाबंद	उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता	–	श्री यीशु शर्मा निवासी मैनपुर जिला गरियाबंद द्वारा अनियमितता की शिकायत कलेक्टर, जिला गरियाबंद के समक्ष शिकायत दिनांक 12.10.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसे उप निदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद को दिनांक 23.10.2021 को जांच कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर उप निदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद द्वारा कार्यालयीन पत्र कमांक/स्टेनो/आर/4047 दिनांक 27.10.2021 के माध्यम से सहायक संचालक तौरेंगा को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया जिसकी जांच कार्यवाही प्रगति पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 08-03-2022 को प्रश्नोत्तरी सूची के भाग-2 अतारांकित प्रश्नोत्तर पृष्ठ क्रमांक 31 एवं 32 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 30. (क्रमांक 411) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

प्रश्नांश 'क- के उत्तर में संलग्न "परिशिष्ट अट्ठाईस" प्रपत्र "अ" के तालिका के सरल कमांक-02, वित्तीय वर्ष 2020-21 के कॉलम 06, कॉलम 08, कॉलम 10 एवं कॉलम 11 में उल्लेखित राशि रूपये के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

कॉलम 06 - राशि रू. 4154.65 लाख के स्थान पर राशि रू. 4847.82 लाख
कॉलम 08 – राशि रू. 37568.44 लाख के स्थान पर राशि रू. 38261.61 लाख
कॉलम 10 – राशि रू. 29014.82 लाख के स्थान पर राशि रू. 28394.73 लाख
कॉलम 11 – राशि रू. 28394.73 लाख के स्थान पर राशि रू. 29014.82 लाख

शेष जानकारी यथावत पढ़ा जावे ।

(गुरू रूद्र कुमार)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 08-03-2022 को प्रश्नोत्तरी सूची के भाग-3 अतारांकित प्रश्नोत्तर पृष्ठ क्रमांक 65 एवं 66 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 58. (क्रमांक 430) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

प्रश्नांश 'क- के उत्तर में पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" के तालिका के सरल क्रमांक- 02, वित्तीय वर्ष 2020-21 के कॉलम 06, कॉलम 08, कॉलम 10 एवं कॉलम 11 में उल्लेखित राशि रूपये के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

कॉलम 06 – राशि रू. 4154.65 लाख के स्थान पर राशि रू. 4847.82 लाख
कॉलम 08 – राशि रू. 37568.44 लाख के स्थान पर राशि रू. 38261.61 लाख
कॉलम 10 – राशि रू. 29014.82 लाख के स्थान पर राशि रू. 28394.73 लाख
कॉलम 11 – राशि रू. 28394.73 लाख के स्थान पर राशि रू. 29014.82 लाख

शेष जानकारी यथावत पढ़ा जावे।

(गुरू रूद्र कुमार)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

मंगलवार, दिनांक 08 मार्च 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
मार्च, 2022 प्रश्नोत्तर सूची के शीर्षक में मुद्रित **मार्च, 2022 सत्र सत्र** के स्थान पर **मार्च, 2022 सत्र पढ़ा जावे।**		

तारांकित प्रश्नोत्तर

ता.प्र.सं. 12 (क्र. 336) को निरस्त माना जाये।

दिनांक 08 मार्च 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–3 (क्र.–227) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 7 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

मान. अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 09-03-2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्रमांक 365) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ग) में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में प्लेसमेंट की सहायता से निजी क्षेत्र में प्राप्त रोजगार जानकारी संलग्न संशोधित "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में अब तक प्राप्त जानकारी अनुसार 23,430 लोगों को सरकारी, 13,709 लोगों को गैर-सरकारी तथा 3,94,854 लोगों का स्वरोजगार मिला है। जिलेवार जानकारी संलग्न संशोधित "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

(उमेश पटेल)
मंत्री
छत्तीसढ़ शासन

संशोधित प्रपत्र ब

रोजगार मिशन पोर्टल पर दिनांक 07-03-2022 तक दर्ज रोजगार की जिलेवार जानकारी

जिला का नाम	स्वरोजगार	सरकारी क्षेत्र में रोजगार	निजी क्षेत्र में रोजगार
बालोद	3520	1621	5
बलौदाबाजार	8637	1668	3369
बलरामपुर	2043	976	647
जगदलपुर	41093	378	110
बेमेतरा	12093	613	1
बीजापुर	4669	442	59
बिलासपुर	4100	566	397
दन्तेवाड़ा	9167	166	426
धमतरी	3358	807	1277
दुर्ग	35683	1423	129
गरियाबन्द	9965	176	900
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	992	153	9
जांजगीर	24787	409	594
जशपुर	29263	1461	345
कबीरधाम	4691	173	70
कांकेर	5322	1331	1310
कोण्डागांव	5011	1874	952
कोरबा	1155	62	186
मनेन्द्रगढ़	19426	384	8
महासमुन्द	40368	395	216
मुंगेली	5855	30	31
नारायणपुर	198	414	0
रायगढ़	54363	3368	891
रायपुर	9889	1594	102
राजनांदगाँव	1935	430	604
सुकमा	2300	791	441
सूरजपुर	25883	1204	474
अम्बिकापुर	29088	521	156
Total	**394854**	**23430**	**13709**

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 09-03-2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 3 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 533) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) के परिपत्र "ब" में उल्लेखित क्रमांक 126 के पश्चात् निरंतता में 127 से 205 तक की जानकारी निम्नानुसार पढ़ा जावें :-

हमर लैब में वर्तमान में री-एजेंट की उपलब्धता की मात्रा			
संस्था का नाम		री-एजेंट	उपलब्ध मात्रा
127	हमर लैब जिला अस्पताल बालोद	टोटल बिलरूबिन	3
128		डायरेक्ट बिलरूबिन	3
129		एस जी पी टी.	2
130		एस जी ओ. टी.	2
131		अक्लाइन फॉसफेट	2
132		टोटल प्रोटीन	1
133		एल्बुमीन	1
134		टोटल कोलेस्ट्राल	3
135		एच डी एल	3
136		एल डी एल	3
137		टी जी	3
138		यूरिया	0
139		यूरिक एसिड	2
140		क्रेटीनीन	1
141		एच बी ए1सी	2
142		सी आर पी	3
143		क्लोराइड	3
144		एच बी.एस ए जी	1000
145		एच सी वी	1000
146		सेफलीस	3000
147		एच आई व्ही	1200
148		सिक्लीन	5000
149		बल्ड ग्रुप	15
150		वीडाल	20
151		सी बी सी डिलूवेन 3 ड्रग	6 नग
152		सी बी सी डिलूवेन 5 ड्रग	4 नग
153		सीरम बिलरूबीन	1 किट
154		व्ही एल डी एल	1 किट
155		बल्ड युरिया	1 किट
156		सोडियम	1 किट

157		पोटेशियम	1 किट
158		कैल्शियम	1 किट
159	हमर लैब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलारी जिला बलौदाबाजार	एन/10 एचसीएल	10 लीटर
160		सिकलीन साबुलिटी रिजन	100 किट
161		ब्लड ग्रुप	5 किट
162		एमपी कार्ड (मलेरिया)	1200 किट
163		डेंगू किट	100 किट
164		एचईपी. बी	1600 किट
165		हेप सी किट	400 किट
166		एचआईवी	500 किट
167		सिफलिस किट	300 किट
168		विडिआरएल रिर्जेन्ट	6 बॉक्स
169		यूरिन प्रेगनेन्सी किट	800 किट
170		यूरिन एल्बोमीन स्ट्रीप	40 बॉक्स
171		यूरिन सुगर स्ट्रीप	40 बॉक्स
172		सल्फर पॉउडर	5 बॉक्स
173		ब्लड सुगर रीजन	1 सेट
174		ग्लूकोमीटर स्ट्रीप	600 स्ट्रीप
175		पीएच पेपर स्ट्रीप	10 सेट
176		केटोनबॉडी स्ट्रीप	10 सेट
177		यूरिन स्पेसीफिक ग्रेविटी स्ट्रीप	10 सेट
178		मोन्टेक्स रीजेन	2 सेट
179		टाईफाईड किट	6 सेट
180		आरए किट	1 सेट
181		सीआरपी किट	1 सेट
182		ब्लड यूरिया रीजेन्ट	2 सेट
183		क्रेटीनीन	2 सेट
184		यूरिक एसीड रीजेन्ट	2 सेट
185		बिलीरूबीन रीजेन्ट	2 सेट
186		एसजीओटी	2 सेट
187		एसजीपीपी रीजेन्ट	2 सेट
188		अल्कलॉईन फासफेक्ट रीजेन्ट	2 सेट
189		टोटल प्रोटीन रीजेंन्ट	2 सेट
190		अल्बोमीन रीजेन्ट	2 सेट
191		टोटल कोलेस्ट्राल रीजेन्ट	2 सेट
192		ट्राईगिसलाइड रीजेन्ट	2 सेट
193		एचडीएल रीजेन्ट	2 सेट

194		एलडीएल रीजेन्ट	2 सेट
195		सीबीसी रिकल रीजेन्ट	3 सेट
196		सीबीसी लीस रीजेन्ट	3 सेट
197		सीबीसी प्रोबक्लीनर	3 सेट
198		यूरिन मल्टी स्ट्रीप	3 सेट
199		स्पूटमफोर एएफबी रीजेन्ट	2 लीटर
200		जेएसबी स्टेन	8 लीटर
201		लिस्मन स्टेन	4 लीटर
202		स्कॉईन फोरएएफबी रीजेन्ट	1 लीटर
203		एचबी इलेक्ट्रो हीमोग्लोबीन रीजेन्ट	2 लीटर
204		एसीटीक एसीड	2 लीटर
205		क्लोरोसेन्ट स्टेन	2 लीटर

(टी.एस. सिंहदेव)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

बुधवार, दिनांक 09 मार्च 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 09 मार्च 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–16 (क्र.–399) का पुनरीक्षित उत्तर एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–2 (क्र.–50) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 8 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 10-03-2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 05 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक-337) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के अंतिम पंक्ति में "निश्चित समयावधि बताया जाना संभव है। चौकी खोलने का प्रस्ताव नहीं है।"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :-

"निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। चौकी खोलने का प्रस्ताव नहीं है।"

(ताम्रध्वज साहू)
मंत्री, गृह
छत्तीसगढ़ शासन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 10.03.2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 37 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक–388) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के **भाग "क"** **से** संबंधित परिशिष्ट इन्कावन के प्रपत्र **"क"** में अंकित तालिका **"सामूहिक हत्या, आत्महत्या व किसान आत्महत्या के दर्ज प्रकरणों की जानकारी"** के स्तम्भ 4 **"कृषिगत कारणों से"** की द्वितीय पंक्ति में अंकित **"3"** के स्थान पर **"2"** संशोधित कर पढ़ा जावें।

(ताम्रध्वज साहू)
मंत्री, गृह
छत्तीसगढ़ शासन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 11-03-2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्रमांक 234) में, मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं।

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'ग' परिशिष्ट-1, प्रपत्र 'ब' में कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :-

"प्रश्नांक 'ग' के उत्तर के परिशिष्ट-1 प्रपत्र 'ब' के बिन्दु क्रमांक 04 में उल्लेखित फंगल इंफेक्शन जैसे-मेन्ज आदि के स्थान पर फंगल इंफेक्शन एवं मेन्ज आदि पढ़ा जावे।"

(रविन्द्र चौबे)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 11 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–08 (क्र.–822) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 10 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 14 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–04 (क्र.–983) एवं तारांकित प्रश्न संख्या –09 (क्र.–994) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 13 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नो में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 15-03-2022 की प्रश्नोंत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 3 एवं 4 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या (क्रमांक-1050) 4 के उत्तर/प्रपत्र-अ एवं ब में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

उत्तर के भाग 'क' में "जी हाँ, 37 निविदाओं में से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई। इन 33 निविदाओं में भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है। इसके लिए 07 भारतीय वन सेवा एवं 02 राज्य वन सेवा के अधिकारी दोषी पाये गये (सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ में दर्शित है) है। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। किसी को जांच अधिकारी नहीं बनाया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा समस्त निविदाओं का परीक्षण कर निष्कर्ष के आधार पर भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन होना पाया गया।" का लेख किया गया था ।

उत्तर के भाग 'ख' में "प्रश्नांश "क" की अवधि के पश्चात् आमंत्रित निविदाओं में से 02 निविदाओं में अनियमितता होना पाया गया (विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब में दर्शित है) 02 निविदाओं में फार्म बिक्री के लिए दी जाने वाली अवधि नियमानुसार नहीं पायी गयी। निर्धारित समाचार पत्रों में प्रकाशन की अनियमितता कहीं नहीं पायी गयी। दोषी अधिकारियों के नाम संलग्न सूची में दर्शित है। उनके विरूद्ध अखिल भारतीय (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर/पुनरीक्षित प्रपत्र पढ़ा जावें :-

उत्तर के भाग "क" में "06 भारतीय वन सेवा एवं 03 राज्य वन सेवा के अधिकारी दोषी पाये गये (पुनरीक्षित प्रपत्र-अ में दर्शित है)" पढ़ा जाए तथा उत्तर के भाग 'ख' में "(पुनरीक्षित प्रपत्र-ब में दर्शित है)" पढ़ा जाए।"

(संलग्न पुनरीक्षित "प्रपत्र-अ एवं ब")

(मोहम्मद अकबर)
वन मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

पुनरीक्षित प्रपत्र-अ

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1050 श्री धरमलाल कौशिक, माननीय सदस्य विधानसभा के प्रश्नांश "क" के संबंध में

अनु. क्र.	तारांकित प्रश्न क्र. 892 के तहत 33 निविदाओं में पाई गई अनियमितता का विवरण	कार्यालय का नाम	अनियमितता की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी	जांच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष	दोषी अधिकारियों का नाम/पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1	सीमेंट निविदा राशि 10,50,000/- रूपये, छड़ 6 mm निविदा राशि 5,17,000/- रूपये, 8 mm निविदा राशि 3,29,000/- रूपये, 10 mm निविदा राशि 8,93,000/- रूपये, 12 mm निविदा राशि 3,76,000/- रूपये, 16 mm निविदा राशि 3,29,000/- रूपये, गिट्टी केशर 20 mm निविदा राशि 11,05,000/- रूपये, गिट्टी क्रेशर 40 mm निविदा राशि 7,92,000/- रूपये, गिट्टी केशर 40-60 mm निविदा राशि 3,50,000/- रूपये के लिए दिनांक 20.09.2019 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 21.10.2019 नियत थी। प्रकाशन दिनांक से 03 दिवस बाद फार्म की बिकी की गई है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	—	—	श्री अमिताभ बाजपेयी, भा.व.से. तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/302/682/2021 /10-भा.व.से., नवा रायपुर, दिनांक 17.02.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
2	शहद प्रोसेसिंग संयंत्र हेतु कुल निविदा मूल्य 10,00,000/- रूपये के लिए दिनांक 18.10.2019 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 29.11.2019 नियत थी। प्रकाशन दिनांक से 04 दिवस बाद फार्म की बिकी प्रारंभ की गई है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	—	—	श्री अमिताभ बाजपेयी, भा.व.से. तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/302/682/2021 /10-भा.व.से., नवा रायपुर, दिनांक 17.02.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
3	जे.सी.बी. किराया (कड़ी मिट्टी) निविदा राशि 2,00,000/- रूपये, जे.सी.बी. किराया (नरम मिट्टी) निविदा राशि 3,00,000/- रूपये, पानी टैंकर किराया निविदा राशि 6,61,500/- रूपये हेतु कुल निविदा मूल्य 11,61,500/- रूपये के लिए दिनांक 22.10.2019 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 14.11.2019 नियत थी। निविदा मूल्य रू.10,00,000 से अधिक है। प्रकाशन दिनांक से 02 दिवस बाद फार्म की बिकी प्रारंभ की गई है एवं 23 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	—	—	श्री अमिताभ बाजपेयी, भा.व.से. तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/302/682/2021 /10-भा.व.से., नवा रायपुर, दिनांक 17.02.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

अनु. क्र.	तारांकित प्रश्न क्र. 892 के तहत 33 निविदाओं में पाई गई अनियमितता का विवरण	कार्यालय का नाम	अनियमितता की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी	जांच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष	दोषी अधिकारियों का नाम/पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
4	रेत (मोटा) निविदा राशि 3,33,000/- रूपये, रेत (बारीक) निविदा राशि 2,66,500/- रूपये, मुरूम निविदा राशि 7,06,125/- रूपये, फ्लाई एस ब्रिक्स (ईंट) निविदा राशि 1,23,600/- रूपये, साईज पत्थर साईज(20cmX20cmX20cm) निविदा राशि 1,20,000/- रूपये, कस्तल पत्थर साईज (45mmX90mm) निविदा राशि 1,20,000/- रूपये, बाईडिंग तार निविदा राशि 1,74,000/- रूपये, चैनमाउंटेड मशीन (कड़ी मटटी) निविदा राशि 1,20,000/- रूपये, चैनमाउंटेड मशीन (नरम मटटी) निविदा राशि 1,12,000/- रूपये, खोदी गई मिट्टी का अतिरिक्त परिवहन (ट्रेक्टर/ट्रक द्वारा) 500 मीटर तक निविदा राशि 1,00,000/- रूपये, 1.00 कि.मी. निविदा राशि 1,00,000/- रूपये, 1.50 कि.मी निविदा राशि 1,00,000/- रूपये, 2.00 कि.मी. निविदा राशि 1,00,000/- रूपये, 2.50 कि.मी. निविदा राशि 1,00,000/- रूपये, 3.00 कि.मी. निविदा राशि 1,00,000/- रूपये, 5.00 कि.मी. निविदा राशि 1,00,000/- रूपये, ट्रेक्टर द्वारा जुताई कार्य कड़ी मिट्टी निविदा राशि 1,64,650/- रूपये, ट्रेक्टर द्वारा जुताई कार्य नरम मिट्टी निविदा राशि 2,76,500/- रूपये, रोड रोलर (08 टन से 12 टन क्षमता का) निविदा राशि 1,25,000/- रूपये, रोलर (वाईब्रेटर रोलर) निविदा राशि 1,10,000/- रूपये सामग्री हेतु कुल निविदा मूल्य 91,92,375/- रूपये के लिए दिनांक 20.09.2019 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 21.10.2019 नियत थी। प्रकाशन दिनांक से 03 दिवस बाद फार्म की बिक्री की गई है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	–	–	श्री अमिताभ बाजपेयी, भा.व.से. तत्कालीन, वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/302/682/2021 /10-भा.व.से., नवा रायपुर, दिनांक 17.02.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
5	रेलिंग निर्माण हेतु कुल निविदा मूल्य 6,12,000/- रूपये के लिए दिनांक 15.11.2019 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 19.12.2019 नियत थी। प्रकाशन दिनांक से 03 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	–	–	श्री अमिताभ बाजपेयी, भा.व.से. तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/302/682/2021 /10-भा.व.से., नवा रायपुर, दिनांक 17.02.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
6	सीमेंट निविदा राशि 10,50,000/- रूपये, छड़ 6 mm निविदा राशि 6,30,800/- रूपये, 8 mm निविदा राशि 2,29,600/- रूपये, 10 mm निविदा राशि 6,23,200/- रूपये, 12 mm निविदा राशि 2,62,400/- रूपये, 16 mm निविदा राशि 2,29,600/- रूपये, गिट्टी क्रेशर 20 mm गिट्टी क्रेशर 40 mm निविदा राशि 6,00,000/- रूपये, गिट्टी क्रेशर 40mm निविदा राशि 3,60,000/- रूपये, गिट्टी क्रेशर 40 60 mm निविदा राशि 3,00,000/- रूपये के लिए दिनांक 24.04.2020 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 14.05.2020 नियत थी। निविदा मूल्य रू.10,00,000 से अधिक है। प्रकाशन दिनांक से 01 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है एवं 20 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	–	–	श्री अमिताभ बाजपेयी, भा.व.से. तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/302/682/2021 /10-भा.व.से., नवा रायपुर, दिनांक 17.02.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

अनु. क्र.	तारांकित प्रश्न क्र. 892 के तहत 33 निविदाओं में पाई गई अनियमितता का विवरण	कार्यालय का नाम	अनियमितता की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी	जांच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष	दोषी अधिकारियों का नाम/पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
7	रेत (मोटा) निविदा राशि 3,70,000/- रूपये, रेत (बारीक) निविदा राशि 31,85,000/- रूपये, मुरूम निविदा राशि 4,97,500/- रूपये, साईज पत्थर साईज (20cm X 20cm X 20cm) निविदा राशि 8,00,000/- रूपये, कत्तल पत्थर साईज (45mm X 90mm) निविदा राशि 8,00,000/- रूपये, बाईडिंग तार निविदा राशि 1,47,000/- रूपये, गेरू नं. 1 (प्रति बोरी 25कि.ग्रा. पैक) निविदा राशि 1,60,000/- रूपये, कटनी चूना (चूरा) नं. 1 (प्रति बोरी 25 कि.ग्रा. पैक) निविदा राशि 1,40,000/- रूपये, डिस्टेम्पर (आईएसआई मार्क) प्रति ली. निविदा राशि 30,780/- रूपये, नायलोन रस्सा 24 एमएम निविदा राशि 4,20,000/- रूपये, चैनमाउंटेडमशीन (कड़ी मटटी) निविदा राशि 3,08,000/- रूपये, चैनमाउंटेडमशीन (नरम मटटी) निविदा राशि 1,95,000/- रूपये, जे.सी.बी. मशीन द्वारा खुदाई कार्य (कड़ी मिट्‌टी) निविदा राशि 2,88,000/- रूपये, जे.सी.बी. मशीन द्वारा खुदाई कार्य (नरम मिट्‌टी) निविदा राशि 4,08,000/- रूपये, ट्रेक्टर द्वारा जुताई कार्य (कड़ी मिट्‌टी) निविदा राशि 1,56,325/- रूपये, ट्रेक्टर द्वारा जुताई कार्य (नरम मिट्‌टी) निविदा राशि 2,60,750/- रूपये, मिक्सर मशीन निविदा राशि 1,12,000/- रूपये, वाईब्रेटर मशीन निविदा राशि 1,10,000/- रूपये, पानी टैंकर (4500 लीटर) पानी सहित मौक पर पहुंचाकर निविदा राशि 13,23,000/- रूपये, रोड रोलर (08 टन से 12 टन क्षमता का) निविदा राशि 1,08,000/- रूपये, रोलर (वाईब्रेटर रोलर) निविदा राशि 1,12,000/- रूपये, खोदी गई मिट्‌टी का अतिरिक्त परिवहन (ट्रेक्टर/ट्रक द्वारा) 500 मीटर तक,1.00 कि.मी., 1.50 कि.मी., 2.00 कि.मी. 2.50 कि.मी., 3.00 कि.मी., 5.00 कि.मी. निविदा राशि 4,35,000/- रूपये सामग्री हेतु कुल निविदा मूल्य 1,13,81,955/- रूपये के लिए दिनांक 24.04.2020 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 14.05 2020 नियत थी। निविदा मूल्य रू.10,00,000 से अधिक है। प्रकाशन दिनांक से 01 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है एवं 20 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	–	–	श्री अमिताभ बाजपेयी, भा.व.से. तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/302/682/2021/10–भा.व.से. नवा रायपुर, दिनांक 17.02.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
8	चाय निविदा राशि 40,500/- रूपये, नाश्ता निविदा राशि 81,000/- रूपये, भोजन निविदा राशि 4,05,000/- रूपये, पानी बॉटल निविदा राशि 38,800/- रूपये हेतु कुल निविदा मूल्य 5,65,300/- रूपये के लिए दिनांक 29.08.2020 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 18.09. 2020 नियत थी। प्रकाशन दिनांक से 02 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	–	–	श्री अमिताभ बाजपेयी, भा.व.से. तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/302/682/2021/10–भा.व.से. नवा रायपुर, दिनांक 17.02.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
9	गिट्‌टी क्रेशर 40 एमएम निविदा राशि 7,50,000/- रूपये एवं गिट्‌टी क्रेशर 40-60 एमएम निविदा राशि 6,30,000/- रूपये इस प्रकार सामग्री हेतु कुल निविदा मूल्य 13,80,000/- रूपये के लिए दिनांक 31.12.2019 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 21.01.2020 नियत थी। निविदा मूल्य रू.10,00,000 से अधिक है। प्रकाशन दिनांक से 02 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई एवं 21 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	–	–	श्री के.एल. निर्मलकर, से.नि. स.व.सं. तत्कालीन प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–21/2021 /10–1/वन, नवा रायपुर, दिनांक 11.03.2022, द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

अनु. क्र.	तारांकित प्रश्न क्र. 892 के तहत 33 निविदाओं में पाई गई अनियमितता का विवरण	कार्यालय का नाम	अनियमितता की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी	जांच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष	दोषी अधिकारियों का नाम/पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
10	सीमेंट, छड़ गिट्टी, रेत, मुरूम सामग्री हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-82.61 लाख रू.) दिनांक 11.10.2019 एवं 12.10.2019 को प्रकाशित कराई गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 13.11.2019 नियत थी। निविदा मूल्य रू. 10,00,000/- से अधिक है। निविदा प्रकाशन दिनांक से 02 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	—	—	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021/10–भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
11	रेत सामग्री क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-8.81 लाख रू.) दिनांक 07.11.2019 एवं 08.11.2019 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 21.11.2019 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 06 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है एवं 14 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया। जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	—	—	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021/10–भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
12	पैलेट फीड सामग्री क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-1.50 लाख रू.) दिनांक 31.10.2019 एवं 01.11.2019 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 22.11.2019 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 01 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	—	—	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021/10–भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
13	ट्रैप कैमरा सामग्री क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-13.00 लाख रू.) दिनांक 17.11.2019 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 23.12.2019 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 03 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	—	—	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021/10–भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
14	जीपीएस डिवाईस सामग्री क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-4.80 लाख रू.) दिनांक 17.11.2019 एवं 19.11.2019 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 23.12.2019 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 03 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	—	—	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021/10–भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

अनु. क्र.	तारांकित प्रश्न क्र. 892 के तहत 33 निविदाओं में पाई गई अनियमितता का विवरण	कार्यालय का नाम	अनियमितता की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी	जांच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष	दोषी अधिकारियों का नाम/पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
15	रेंज फाईंडर सामग्री क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-10.00 लाख रू.) दिनांक 16.11.2019, 18.11.2019 एवं 19.11.2019 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 23.12.2019 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 03 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	–	–	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
16	कम्पास सामग्री क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-5.00 लाख रू.) दिनांक 16.11.2019, 17.11.2019 एवं 18.11.2019 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 23.12.2019 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 04 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	–	–	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
17	एंड्रॉईड मोबाईल फोन (144 नग) सामग्री क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-11.60 लाख रू.) दिनांक 19.11.2019 एवं 20.11.2019 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 23.12.2019 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 01 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	–	–	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
18	एल्केलाईन AA बैटरी क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-4.00 लाख रू.) दिनांक 19.12.2019 एवं 18.12.2019 को प्रकाशित कराई गई थीं। जिसकी अंतिम तिथि 13.01.2020 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 02 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	–		श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
19	पैलेट फीड (120 क्विंटल) सामग्री क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-3.60 लाख रू.) दिनांक 13.05.2020 एवं 14.05.2020 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 15.06.2020 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 02 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	–	–	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

अनु. क्र.	तारांकित प्रश्न क्र. 892 के तहत 33 निविदाओं में पाई गई अनियमितता का विवरण	कार्यालय का नाम	अनियमितता की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी	जांच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष	दोषी अधिकारियों का नाम/पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
20	मुरूम (13000घ.मी.) क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-27.00 लाख रू.) दिनांक 06.05.2020 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 08.06.2020 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 02 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	—	—	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
21	रोड रोलर, पावर रोलर एवं पानी टेंकर किराया हेतु, (निविदा मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है) दिनांक 07.05.2020 एवं 06.05.2020 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 06.06.2020 नियत थी। निविदा में निविदा मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकाशन दिनांक से 02 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई एवं 22 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	—	—	श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2128/31(T.L.)/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
22	सीमेंट क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-1.50 लाख रू.) दिनांक 17.09.2020 को प्रकाशित कराई गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 11.10.2020 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 04 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है, जो अनियमितता की श्रेणी मे आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	—	—	श्री आयुष जैन, भा.व.से. उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2130/32(T.L.)/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
23	डार्टगन क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-3.50 लाख रू.) दिनांक 18.09.2020 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 19.10.2020 नियत थी। निविदा प्रकाशन दिनांक से 03 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।	उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	—	—	श्री आयुष जैन, भा.व.से. उप संचालक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2130/32(T.L.)/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
24	फ्लाई एश ब्रिक्स 19x9x9cm प्रति नग, रेत (स्वच्छ) घन मीटर, रेत पटाई हेतु घन मीटर, मुरूम, क्रेशर गिट्टी 20 mm (घ.मी.), क्रेशर गिट्टी 40 mm (घ.मी.), छड़ 08 mm प्रति किलोग्राम छड़ 10 mm प्रति किलोग्राम, छड़ 12 mm प्रति किलोग्राम, छड़ 16 mm प्रति किलोग्राम, जनरल बोल्डर 8x8x8 to 9x9x9 प्रति नग, सीमेंट बैग 50 कि.ग्रा. सीमेंट प्रति बैग, ISI - प्रमाणित 53 ग्रेड सामग्री हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-4.00 करोड़ रू.) दिनांक 17.10.2019 एवं 18.10.2019 को प्रकाशित कराई गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 14.11.2019 नियत थी।	अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	—	—	श्रीमती विजया विनोद कुर्रे, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी।	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/206A./1272/2021 /10-भा.व.से. दिनांक 29.01.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

अनु. क्र.	तारांकित प्रश्न क्र. 892 के तहत 33 निविदाओं में पाई गई अनियमितता का विवरण	अनियमितता की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी	जांच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष	कार्यालय का नाम	दोषी अधिकारियों का नाम/पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
25	ट्रैप कैमरा क्रय एवं कम्पास सामग्री क्रय हेतु (निविदाओं का निविदा मूल्य-14.00 लाख रू.) दिनांक 25.11.2019 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 26.12.2019 नियत थी।			अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	श्रीमती विजया विनोद कुर्रे, भा.व.से. तत्कालीन उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी।	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/206A./1272 /10–भा.व.से. दिनांक 29.01.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
26	सीमेन्ट, छड़, गिट्टी, रेत, फ्लाई एस ब्रिक्स (ईट), ईट, बाईडिंग तार, तार खीला, पेन्ट, डिस्टेम्पर, चूना, गेरू, आरा, कनासी, ऑयल चाक, मेजरिंग टेप, ब्लैक जापान पेंट, पावर चैन सॉ, सबई रस्सी, खुदाई कार्य हेतु जे.सी.बी. किराये पर, जुताई कार्य हेतु ट्रेक्टर किराये पर तथा भण्डार सामग्री,/नाशवान सामग्री एवं अन्य सहायक यंत्र तथा निर्माण सामग्री हेतु दिनांक 24.10.2019 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 26.11.2019 नियत थी। निविदा मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस बाद निविदा फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है एवं 26 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।			वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	सुश्री स्टायलो मण्डावी, भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2127/30 (T.L.) /20/10–भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
27	Vitrified Floor Tiles with Double Charge/ Multi Charge With Water Absorption Less then 0.5%, Stainless steel ralling, Aluminum work for door ,window, and ventilator and partion with 1.5mm thikness, Iron door frame (singel/double), Flush door decorative type, Iron collapasable gate, Truss/purlin, Precoted galvanized non profile sheet, Precoted galvanised steel sheet ridge, Red oxide primer paint for door/window/grill and ventiltor, Wooden Door 30 mm Decoretive Type, Concertina coil fencing with required dia 610 mm (having 50 nos. round per 6 metre length), Building Suttring Material ply, balli, Raptor vkfn] Angle Iron Gril/ Door/ Windoow, Ventiletor, Glass patti for flooring, Centring wire and Nail सामग्री हेतु दिनांक 08.07.2020 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 18.08.2020 नियत थी। कुल निविदा मूल्य का रू. 3,60,60,000 का है। प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया है एवं निविदा प्रकाशन दिनांक से 16 दिवस बाद निविदा फार्म की बिक्री प्रारंभ गई है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।			वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	सुश्री स्टायलो मण्डावी, भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2127/30 (T.L.) /20/10–भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
28	पावर चैन सॉ, आरा, कनासी, ऑयल चॉक, मेजरिंग टेप, ब्लैक जापान एवं सबई रस्सा सामग्री हेतु दिनांक 28.09.2020 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 27.10.2020 नियत थी। निविदा मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकाशन दिनांक से 17 दिवस बाद निविदा फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है एवं 19 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।			वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	सुश्री स्टायलो मण्डावी, भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2127/30 (T.L.) /20/10–भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
29	डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण कार्य, मधोता से लावरापाल (0 से 4 कि.मी.) एवं डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण कार्य, गोंटीगुड़ा से कोमार (0 से 3 कि.मी.) हेतु दिनांक 14.11.2020 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 25.11.2020 नियत थी। कुल निविदा मूल्य का रू. 1,05,70,000 का है। निविदा प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस बाद फार्म बिक्री प्रारंभ की गई एवं 11 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।			वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	सुश्री स्टायलो मण्डावी, भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/2127/30 (T.L.) /20/10–भा.व.से. दिनांक 27.11.2021 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।

अनु. क्र.	तारांकित प्रश्न क्र. 892 के तहत 33 निविदाओं में पाई गई अनियमितता का विवरण	अनियमितता की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी	जांच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष	कार्यालय का नाम	दोषी अधिकारियों का नाम/पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
30	मोबाईल क्रय हेतु कुल निविदा मूल्य 18,17,000/- रूपये के लिए दिनांक 06.02.2020 एवं 07.02.2020 को निविदा प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 14.02.2020 नियत थी। निविदा मूल्य रू. 10,00,000 से अधिक है। प्रकाशन दिनांक से 8 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।			उप संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर	श्री एन.के. शर्मा, सै.नि. स.व.सं. तत्कालीन उप संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर	आरोप पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
31	सीमेंट PPS 50kg पैक (P सी.सी.), 40 mm साईज क्रेशर गिट्टी लाईम स्टोन, 20 mm साईज क्रेशर गिट्टी लाईम स्टोन, 12 mm साईज क्रेशर गिट्टी लाईम स्टोन, छड़ सरिया (6mm, 8mm,10mm,12mm 16mm), रेत सूक्ष्म साफ, मिट्टी रहित एवं निर्माण योग्य, बाईडिंग तार, फ्लाई एवं ब्रिक्स, (ईट) साईज 8" x 4x 3A/2, तार खीला, लाल ईंट, सीमेंट ईंट साईज 30x20x10 cm, ग्रीन नेट साईज 6 फिट चौ. 75%, ग्रीन नेट साईज 6 फिट चौ. 75%, साईज 6 फिट चौ. 90 %, खुदाई कार्य हेतु जे.सी.बी. किराया, जुताई कार्य हेतु ट्रेक्टर किराया, डिस्टेम्पर Asian paints, Trocter, Emulsion, पेन्ट, चूना, गेरू सामग्री हेतु कुल निविदा मूल्य 20,00,000/- रूपये के लिए दिनांक 14.11.2019 को निविदा प्रकाशित कराई गई थीं। जिसकी अंतिम तिथि 20.11.2020 नियत थी। निविदा मूल्य रू.10,00,000 से अधिक है। प्रकाशन दिनांक से 6 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।			उप संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर		आरोप पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
32	सीमेंट PPC 50 कि.ग्रा. पैक (ए.सी.सी./अल्ट्राटेक/ अंबुजा/लफार्ज), 40 mm साईज क्रेशर गिट्टी लाईम स्टोन, 20 mm साईज क्रेशर गिट्टी लाईम स्टोन, 12 mm साईज क्रेशर गिट्टी लाईम स्टोन, छड़ (सरिया) 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, रेत सूक्ष्म साफ, मिट्टी रहित एवं निर्माण योग्य, बाईडिंग तार, तार खीला, फ्लाई एस ब्रिक्स (ईट) साईज 8"x4x3½" लाल ईट, सीमेन्ट ईट - साईज 30x20x15 से.मी. (Accepted Limit - 5N/mm2 or 50Kg/CM2), ग्रीन नेट (साईज 6 फिट चौड़ा) 75%, 90%, खुदाई कार्य हेतु जे.सी.बी. किराया, जुताई कार्य हेतु ट्रेक्टर किराया, डिस्टेम्पर (Asian Paints Tractor Emulsion), पेन्ट, चूना एवं गेरू सामग्री हेतु दिनांक 26.10.2020 एवं 27.10.2020 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 23.11.2020 नियत थी। निविदा मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकाशन दिनांक से 05 दिवस बाद निविदा फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है एवं 13 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया है जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।			वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल	श्री डी.के. साहू, सै.नि. स.व.सं. तत्कालीन प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर	प्रकरण में छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-19/2021/10-1/वन, दिनांक 03.11.2021 कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
33	आवासीय कॉलोनी में ओव्हर हेड टैंक निर्माण एवं पाईप लाईन बिछाई कार्य - परिक्षेत्र बीजापुर-1 नग, आवासीय कॉलोनी में ओव्हर हेड टैंक निर्माण एवं पाईप लाईन बिछाई कार्य - परिक्षेत्र बीजापुर-1 नग, आर.सी.सी. गेट निर्माण कार्य परिक्षेत्र बीजापुर (सा.) बीजापुर-01 नग, स्टाप डेम निर्माण कार्य, परिक्षेत्र आवापल्ली (सा.) प्री.-522-01 नग, बीज संग्रहण/उत्पादन भवन निर्माण कार्य, परिक्षेत्र बीजापुर (सा.), दुगोली नर्सरी-01 नग, स्टॉप डेम निर्माण,परिक्षेत्र मद्देड़ (सा.) धुनकीवागू नाला, पी.682, कोंगूपल्ली-01 नग, वाटर एब्जॉर्बशन टैंक निर्माण कार्य, परिक्षेत्र भैरमगढ़, बरदेला नाला भाग-1- 12 नग सामग्री हेतु दिनांक 14.11.2020 को प्रकाशित कराई गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 16.12.2020 नियत थी। कुल निविदा मूल्य रू.10,00,000 से अधिक है। प्रकाशन दिनांक से 20 दिवस में निविदा फार्म जमा कराया गया है एवं 20 दिवस बाद फार्म की बिक्री प्रारंभ की गई है, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।			वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल	श्री अशोक कुमार पटेल, भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर	आरोप पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

पुनरीक्षित प्रपत्र – ब

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1050 श्री धरमलाल कौशिक, माननीय सदस्य विधानसभा के प्रश्नांश "ख" के संबंध में

अनु. क्र.	वनमण्डल का नाम	कार्य का नाम/सामग्री का नाम	निविदाओं का निविदा मूल्य (रू.में)	समाचार पत्र का नाम जिसमें निविदा प्रकाशित की गई	समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि	निविदा फार्म बिक्री की प्रारंभिक तिथि	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	अनियमितता	भण्डार क्रय नियम का पालन न करने अथवा अनियमितता पाये गये निविदाओं में दोषी अधिकारियों का नाम व पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	बस्तर	सीमेंट (ISI, PPC, PSC Marked) 53 Grade 50 कि.ग्रा. पैक, छड़, गिट्टी, रेत सूक्ष्म साफ, मिट्टी रहित एवं निर्माण योग्य, मुरूम, उपजाऊ मिट्टी, फ्लाई एस ब्रिक्स (ईंट) साईज – 20x10x10 cm, लाल ईंट साईज – 20x10x10 cm, सीमेंट ईंट साईज – 30x20x15 cm (Accepted Limit - 5N/mm2 or 50 Kg/Cm2), वाईंडिंग वायर, तार खीला, वॉल टाईल्स, टाईल्स Vitrified Digital, Ceramic Glazed Tiles, Parking Tiles Plane, टाईल्स 300x300 (पार्किंग टाईल्स डिजाईनर), प्लाई, मार्बल पत्थर, ग्रेनाईट, फाईबर शीट, ए.सी.पी. शीट कार्य (एल्यूमीनियम सेक्शन सहित), Aluminium Section Door एवं Window कार्य, 06mm Glass सहित लेमीनेशन डोर, पी.वी.सी. शीट डोर एल्यूमीनियम सेक्शन चौखट सहित, साल चौखट, एम.एस. आयरन Square Rod ग्रिल, एम.एस.एंगल आयरन ट्रस परलिन बनाने सहित, एम.एस.आयरन M.S. Sheet बोर्ड, M.S. Sheet Window लोहे की खिड़की (चौखट सहित), M.S. Sheet Door लोहे का दरवाजा (चौखट सहित), Iron collapsable gate, Precoated Tile Pattern Profile Sheet, Precoated Plain Profile Sheet, Galvanized Iron Profile Sheet, Concertina Coil Fencing, डेकोरेटिव टाईल्स (खपरा) साईज, ट्यूब वेल खनन 150mm Diameter, एम.एस. केसिंग पाईप 150mm Diameter, जी.आई.पाईप 50mm Diameter, एस्बेस्टस शीट, बोनमिल, नीमखली, रासायनिक खाद, ग्रीन नेट, चूना, गेरू, कोलतार, पेन्ट, डिस्टेम्पर, इमलशन डिस्टेंपर, प्रायमर (लकड़ी), प्रायमर (लोहा) हेतु सामग्री क्रय तथा निर्माण सामग्री परिवहन, राजस्थानी ट्रेक्टर से खुदाई एवं समतलीकरण करने हेतु तथा पोकलेन्ड मशीन तथा जे.सी.बी. मशीन को किराये से प्राप्त करने के लिए।	आवश्यकतानुसार सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। आमंत्रित निविदा में अनुमानित राशि का उल्लेख नहीं किया गया था।	1. नवभारत 2. नव प्रदेश 3. हिंदसत्	1. 16/12/2020 2. 16/12/2020 3. 17/12/2020	16/12/2020	प्रथम निविदा 05/01/2021 द्वितीय निविदा 12/01/2021 तृतीय निविदा 19/01/2021	1. निविदा का मूल्य नहीं दर्शाया गया है। 2. निविदा प्रकाशन तिथि से निविदा फार्म जमा करने की तिथि के मध्य 30 दिवस का समय होना चाहिए था किंतु 21 दिवस का समय लिया गया है।	सुश्री स्टायलो मण्डावी, भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	विभागीय पत्र क्र. एफ 02–01/2022 /10–1/वन दिनांक 11.03. 2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।	निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई।
2	बीजापुर	सीमेंट, क्रेशर गिट्टी, रेत, पी.वी.सी.शीट डोर चौखट सहित, वाईंडिंग वायर, सीमेंट ईंट, चूना, गेरू, डिस्टेम्पर, प्रायमर लकड़ी, प्रायमर लोहा, छड़, एम.एस. आयरन, एम.एस.एंगल आयरन, एंगल आयरन, एम.एस.शीट बोर्ड, एम.एस.शीट विन्डो, आयरन कोलैप्स गेट, टाईल्स, आयरन प्रोफाईल शीट, एस्बेस्टस शीट, पेन्ट, इमलशन डिस्टेंपर, उपजाऊ मिट्टी, मुरूम, फ्लाई एस ब्रिक्स, ग्रीन नेट, ग्रेनाईट फाईबर शीट।	10,000,00.00	1. हरिभूमि 2. नवप्रदेश 3. बस्तर इम्पेक्ट	1. 29/04/2021 2. 30/04/2021 3. 01/05/2021	29/04/2021	प्रथम निविदा 21/05/2021 द्वितीय निविदा 25/05/2021 तृतीय निविदा 29/05/2021	कोई नहीं	–	–	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।
3	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	निर्माण/वानिकी कार्य – जे.सी.बी. किराया, छड़, रेत, फ्लाई एस ब्रिक्स, सीमेंट गिट्टी	उक्त निविदा में सामग्रियों की अनुमानित मात्रा का उल्लेख था, राशि का उल्लेख नहीं किया गया था।	(1) अमृत संदेश रायपुर (2) दैनिक दबंग दुनिया रायपुर (3) पत्रिका रायपुर	(1) 28-01-2021 (2) 28-01-2021 (3) 26-01-2021	27/01/2021	26/02/2021	कोई नहीं	निरंक	निरंक	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।

अनु. क्र.	वनमण्डल का नाम	कार्य का नाम/सामग्री का नाम	निविदाओं का निविदा मूल्य (रू.में)	समाचार पत्र का नाम जिसमें निविदा प्रकाशित की गई	समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि	निविदा फार्म बिक्री की प्रारंभिक तिथि	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	अनियमितता	भण्डार क्रय नियम का पालन न करने अथवा अनियमितता पाये गये निविदाओं में दोषी अधिकारियों का नाम व पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही	रिमार्क
4	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	निर्माण/वानिकी कार्य – पॉवर रोलर किराया एवं पानी टैंकर किराया, मुरूम क्रय	उक्त निविदा में सामाग्रियों की अनुमानित मात्रा का उल्लेख था, राशि का उल्लेख नही किया गया था।	(1) दैनिक भास्कर रायपुर (2) पायनियर हिन्दी रायपुर (3) तरूण छत्तीसगढ़ रायपुर	(1) 20-05-2021 (2) 20-05-2021 (3) 20-05-2021	24/05/2021	24/06/2021	कोई नहीं	निरक	निरक	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।
5	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	विभिन्न कार्यो हेतु आवश्यक भण्डार सामाग्री (ट्रैप कैमरा क्रय)	10 लाख रूपये	(1) देशबन्धु रायपुर (2) नवभारत रायपुर (3) प्रातः काल मुंबई	(1) 14-09-2021 (2) 15-09-2021 (3) 15-09-2021	15/09/2021	18/10/2021	कोई नहीं	निरक	निरक	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।
6	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	विभिन्न कार्यो हेतु आवश्यक भण्डार सामाग्री (ट्रैप कैमरा क्रय)	10 लाख रूपये	(1) देशबन्धु रायपुर (2) हरिभूमि रायपुर (3) जनता से रिश्ता रायपुर	(1) 10-11-2021 (2) 10-11-2021 (3) 11-11-2021	11/11/2021	10/12/2021	कोई नहीं	निरक	निरक	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।
7	अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	रेत (स्वच्छ) घन मीटर	125680	दबंग दुनिय बिलासपुर, देशबंधु बिलासपुर नवभारत बिलासपुर अमृत संदेश बिलासपुर	01/01/2021 01/01/2021 02/01/2021 02/01/2021	01/01/2021 कार्यालयीन समय में	03/02/2021 समय दोपहर 02:00 बजे तक	कोई नहीं	भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।	कोई दोषी नही है।	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।
		रेत पटाई हेतु घन मीटर	67305								
		मुरूम	1400000								
		क्रेशर गिट्टी 20 mm (घ.मी.)	267540								
		क्रेशर गिट्टी 40 mm (घ.मी)	73062								
		छड 08 mm प्रति किलोग्राम	74382								
		छड़ 10 mm प्रति किलोग्राम	31668								
		छड 12 mm प्रति किलोग्राम	88452								
		सीमेंट – 53 ग्रेड पोर्टलैंड सीमेंट आई.एस.आई	440750								
		जनरल बोल्डर 12"x6"x6" लगभग प्रति नग	250000								
		सेंटरिंग सामग्री किराया अ– आर.सी.सी	86598								
		सेंटरिंग सामग्री किराया ब– पी.सी.सी	27500								
		कांक्रीट मिक्सर मशीन किराया (ईंधन एवं आपरेटर सहित)	81800								
		निडल वाईब्रेटर किराया (ईंधन एवं आपरेटर सहित)	36000								
		पानी टैंकर किराया (6000 लीटर) (ईंधन एवं आपरेटर सहित)	125598								
		पानी पंप किराया (ईंधन एवं आपरेटर सहित)	45012								
		जे.सी.बी. द्वारा सभी प्रकार के मिटटी खुदाई के लिए	8310793								
		ट्रेक्टर द्वारा समतलीकरण कार्य करने एवं मिटटी परिवहन कार्य	80000								

अनु. क्र.	वनमण्डल का नाम	कार्य का नाम/सामग्री का नाम	निविदाओं का निविदा मूल्य (रू.में)	समाचार पत्र का नाम जिसमें निविदा प्रकाशित की गई	समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि	निविदा फार्म बिक्री की प्रारंभिक तिथि	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	अनियमितता	भण्डार क्रय नियम का पालन न करने अथवा अनियमितता पाये गये निविदाओं में दोषी अधिकारियों का नाम व पदनाम	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही	रिमार्क
8	अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	छड़ 08 mm प्रति किलोग्राम	420000	देशबंधु बिलासपुर हरिभूमि बिलासपुर नवभारत बिलासपुर	20/08/2021 20/08/2021 21/08/2021	20/08/2021 कार्यालयीन समय में	27/09/2021 समय दोपहर 02:00 बजे तक	कोई नही	भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।	कोई दोषी नही है।	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।
		छड़ 10 mm प्रति किलोग्राम	177000								
		छड़ 12 mm प्रति किलोग्राम	1062000								
		सेंटरिंग सामग्री किराया अ– आर.सी.सी	153000								
		सेंटरिंग सामग्री किराया ब– पी.सी.सी	55000								
		डीजल पंप	24800								
9	अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	ट्रैप कैमरा	2000000	नवभारत बिलासपुर, पंजाब केशरी देल्ही ,नई दुनिया रायपुर टाईम आफ इण्डिया रायपुर	05/12/2021 05/12/2021 06/12/2021 06/12/2021	05/12/2021 कार्यालयीन समय में	11/01/2022 03:00 बजे दोपहर तक	कोई नही	भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।	कोई दोषी नही है।	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।
10	इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर	निर्माण सामग्री सीमेंट, छड, मिट्टी, रेत , फ्लाई एश ब्रिक्स (ईट), बाईडिंग तार, तार खीला, पेन्ट, डिस्टेम्पर, चूना, गेरू एवं मिट्टी खुदाई कार्य हेतु जे.सी.बी. किराये पर तथा भूमि जोताई हेतु ट्रेक्टर किराये हेतु कुल राशि 15,60,138/– रूपये की दिनांक 20.01.2021 एवं 23.01.2021 करे निविदा आमंत्रित की गई थी। उपरोक्तानुसार निविदा प्रकाशन तिथि से निविदा फार्म जमा करने की तिथि के मध्य, 30 दिवस का समय होना चाहिए था, किन्तु 24 दिवस का समय लिया गया, जो छ.ग. भण्डार, क्रय नियम 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन है।	15,60,138	नवभारत, दैनिक भास्कर एवं हरिभूमि	22.01.2021 एवं 23.01.2021	प्रकाशन की तिथि से	15.02.2021 समय 03.00 बजे तक	निविदा प्रकाशन तिथि से निविदा फार्म जमा करने की तिथि के मध्य 30 दिवस का समय होना चाहिए था किंतु 24 दिवस का समय लिया गया है।	श्री डी.के. मेहर, स.व.सं. प्रभारी उप संचालक, इन्द्रावती टाईगर रिजर्व बीजापुर	विभागीय पत्र क्र. एफ 1–8/2022/10–1/व न दिनांक 11.03.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।	निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई।
11		ट्रैप कैमरा क्रय हेतु (प्रथम निविदा)	15,00,000	दैनिक भास्कर , बस्तर इम्पेक्ट, नवभारत	06/10/2021	प्रकाशन की तिथि से	15.11.2021 समय 02.00 बजे दोपहर	कोई नहीं	कोई अधिकारी दोषी नहीं है।	निरंक	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।
12		ट्रैप कैमरा क्रय हेतु (प्रथम निविदा निरस्त होने के पश्चात् द्वितीय निविदा)	15,00,000	दैनिक भास्कर, हरि भूमि, नवभारत	15.12.2021 एवं 16.12.2021	प्रकाशन की तिथि से	20.01.2022 समय 12.00 बजे	कोई नहीं	कोई अधिकारी दोषी नहीं है।	निरंक	निविदा में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 15-03-2022 को प्रश्नोत्तरी सूची के भाग 1 तारांकित प्रश्नोत्तर पृष्ठ क्रमांक 5 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 435) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:-

प्रश्नांश 'ख' के उत्तर में उल्लेखित "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" के कॉलम 8 (रिमार्क) के सरल क्रमांक 57 से 63 एवं सरल क्रमांक 188 से 195 में उल्लेखित "निविदा प्रक्रिया" को विलोपित माना जावे।

शेष जानकारी यथावत पढ़ा जावे।

(गुरू रूद्र कुमार)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 15-03-2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 06 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 09... ... ...(क्रमांक-1057) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर से संबंधित परिशिष्ट "तीन" के प्रपत्र –अ के भाग में:-

स.क.	न्यास में सदस्य	न्यास में पदनाम
1	2	3
1	01. माननीय श्री चरण दास महंत विधायक, सक्ती विधानसभा 02. माननीय श्री केशव प्रसाद चन्द्रा विधायक, जैजैपुर विधानसभा 03. माननीय श्री रामकुमार यादव विधायक, चन्द्रपुर विधानसभा 04. माननीय श्री सौरभ सिंह विधायक, अकलतरा विधानसभा 05. माननीय श्रीमती इन्दु बंजारे, विधायक पामगढ़ विधानसभा 06. माननीय श्रीमती यनिता यशवंत चन्द्र, अध्यक्ष, जिला पंचायत जांजगीर चांपा	पदेन सदस्य

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :-

स.क.	न्यास में सदस्य	न्यास में पदनाम
1	2	3
1	01. माननीय श्री चरण दास महंत विधायक, सक्ती विधानसभा 02. माननीय श्री नारायण चंदेल, विधायक, जांजगीर–चांपा विधानसभा 03. माननीय श्री केशव प्रसाद चन्द्रा विधायक, जैजैपुर विधानसभा 04. माननीय श्री रामकुमार यादव विधायक, चन्द्रपुर विधानसभा 05. माननीय श्री सौरभ सिंह विधायक, अकलतरा विधानसभा 06. माननीय श्रीमती इन्दु बंजारे, विधायक पामगढ़ विधानसभा 07. माननीय श्रीमती यनिता यशवंत चन्द्र, अध्यक्ष, जिला पंचायत जांजगीर चांपा	पदेन सदस्य

(भारसाधक मंत्री)

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 15.03.2022 को प्रश्नोत्तरी सूची के भाग 1 तारांकित प्रश्नोत्तर पृष्ठ क्रमांक 8 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 971) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:–

1. प्रश्नांश के उत्तर में शहरीय आवर्धन योजनाओं की सूची **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–'ब'** में उल्लेखित शीर्षक राजनांदगांव जिले में संचालित ग्रामीण जल आवर्धन योजनाओं की जानकारी में दर्शित ग्रामीण के स्थान पर शहरीय पढ़ा जावें।
2. प्रश्नांश के उत्तर में उल्लेखित **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–"स"** के **कॉलम क्रमांक 6** के निम्नलिखित सरल क्रमांकों में संशोधन करना चाहता हूं:–

सरल क्रमांक	कार्यादेश दिनांक
1	6
34	12.08.2021
35	18.05.2021
36	07.08.2021
37	06.04.2021
38	13.04.2021
39	5.04.2021
40	24.02.2022
41	21.02.2022
42	01.09.2021
43	11.08.2021
44	11.01.2022
45	11.01.2022
46	14.09.2021
47	17.09.2021
48	26.08.2021

सरल क्रमांक	कार्यादेश दिनांक
1	6
49	21.02.2022
50	08.09.2021
51	05.04.2021
52	12.08.2021
53	10.01.2022
65	08.02.2022
241	-
275	28.01.2022
276	03.01.2022
278	09.02.2022
282	09.02.2022
283	18.11.2021
284	08.09.2021
286	09.02.2022
287	25.01.2022

सरल क्रमांक	कार्यादेश दिनांक
1	6
289	28.01.2022
290	25.01.2022
291	18.11.2021
292	25.01.2022
293	27.11.2021
295	03.01.2022
296	09.02.2022
297	09.02.2022
298	09.02.2022
301	15.02.2022
302	06.09.2021
303	17.09.2021
305	09.02.2022
306	22.01.2022
307	26.08.2021

सरल क्रमांक	कार्यादेश दिनांक	सरल क्रमांक	कार्यादेश दिनांक	सरल क्रमांक	कार्यादेश दिनांक
1	6	1	6	1	6
308	25.01.2022	326	18.11.2021	344	21.02.2022
309	25.01.2022	327	06.08.2021	345	19.01.2022
310	22.01.2022	328	17.02.2022	346	15.02.2022
311	27.11.2021	329	15.02.2022	347	21.02.2022
312	03.01.2022	330	17.09.2021	348	01.07.2021
313	09.02.2022	331	09.02.2022	350	18.11.2021
314	-	332	06.08.2021	351	09.02.2022
315	25.01.2022	333	03.02.2022	352	27.11.2021
316	10.02.2022	334	09.02.2022	353	17.09.2021
317	15.06.2021	335	06.08.2021	355	17.09.2021
318	25.01.2022	336	06.09.2021	357	13.09.2021
319	25.01.2022	337	28.12.2021	358	03.02.2022
320	-	340	31.01.2022	360	30.12.2021
321	-	341	17.09.2021	361	-
325	18.11.2021	343	09.02.2022	362	-

3. प्रश्नांश के उत्तर में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–"स" के कॉलम क्रमांक 7 के निम्नलिखित सरल क्रमांकों में संशोधन करना चाहता हूं:–

सरल क्रमांक	कार्य पूर्ण करने का समय
1	7
241	-
314	-
320	-
321	-
361	-
362	-

4. प्रश्नांश के उत्तर में उल्लेखित **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–"स" के कॉलम क्रमांक** 8 के निम्नलिखित सरल क्रमांकों में संशोधन करना चाहता हूं:–

सरल क्रमांक	कार्य पूर्ण करने का समय
1	8
3	वैश्विक कोरोना महामारी के कारण ठेकेदार के द्वारा देर से कार्य आरंभ किया गया
15	वैश्विक कोरोना महामारी के कारण ठेकेदार के द्वारा देर से कार्य आरंभ किया गया
37	वैश्विक कोरोना महामारी के कारण ठेकेदार के द्वारा देर से कार्य आरंभ करने एवं विद्युत कनेक्शन मिलने में विलंब के कारण
38	वैश्विक कोरोना महामारी के कारण ठेकेदार के द्वारा देर से कार्य आरंभ करने एवं विद्युत कनेक्शन मिलने में विलंब के कारण
39	वैश्विक कोरोना महामारी के कारण ठेकेदार के द्वारा देर से कार्य आरंभ करने एवं विद्युत कनेक्शन मिलने में विलंब के कारण
50	क्लोरिनेटर संयंत्र हेतु विद्युत कनेक्शन मिलने में विलंब के कारण
51	वैश्विक कोरोना महामारी के कारण ठेकेदार के द्वारा देर से कार्य आरंभ करने एवं विद्युत कनेक्शन मिलने में विलंब के कारण
115	ठेकेदार के द्वारा देर से कार्य आरंभ करने
317	विद्युत कनेक्शन मिलने में विलंब के कारण
320	-
348	ठेकेदार के द्वारा देर से कार्य आरंभ करने

5. प्रश्नांश के उत्तर में उल्लेखित **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–"स" के कॉलम क्रमांक** 10 के निम्नलिखित सरल क्रमांकों में संशोधन करना चाहता हूं:–

सरल क्रमांक	पाईप लाईन कार्य
1	10
35	पूर्ण
37	पूर्ण
38	पूर्ण
39	पूर्ण
48	पूर्ण
50	पूर्ण
52	पूर्ण

6. प्रश्नांश के उत्तर में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–"स" के कॉलम क्रमांक 11 के निम्नलिखित सरल क्रमांकों में संशोधन करना चाहता हूं:–

सरल क्रमांक	घरेलू नल कनेक्शन
1	11
35	पूर्ण
36	पूर्ण
37	पूर्ण
38	पूर्ण
39	पूर्ण
48	पूर्ण
50	पूर्ण
51	पूर्ण
52	पूर्ण
115	पूर्ण

7. प्रश्नांश के उत्तर में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–"स" के कॉलम क्रमांक 12 के निम्नलिखित सरल क्रमांकों में संशोधन करना चाहता हूं:–

सरल क्रमांक	क्लोरिनेटर स्थापना कार्य
1	12
35	पूर्ण
36	पूर्ण
37	पूर्ण
38	पूर्ण
39	पूर्ण
48	पूर्ण
50	पूर्ण
51	पूर्ण
52	पूर्ण
115	पूर्ण

8. प्रश्नांश के उत्तर में उल्लेखित **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–''स''** के कॉलम **क्रमांक 13** के निम्नलिखित सरल क्रमांकों में संशोधन करना चाहता हूं:–

सरल क्रमांक	शेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण
1	13
36	कार्य पूर्ण
37	कुछ नल कनेक्शन शेष एवं क्लोरिनेटर की टेस्टिंग शेष
38	क्लोरिनेटर की टेस्टिंग शेष
49	-
115	क्लोरिनेटर कार्य शेष
317	समस्त कार्य पूर्ण एवं टेस्टिंग शेष

9. प्रश्नांश के उत्तर में उल्लेखित **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–''स''** के कॉलम **क्रमांक 14** के निम्नलिखित सरल क्रमांकों में संशोधन करना चाहता हूं:–

सरल क्रमांक	रिमार्क
1	14
241	निविदा प्रक्रिया
299	निविदा प्रक्रिया
300	निविदा प्रक्रिया
304	निविदा प्रक्रिया
314	अनुबंध प्रक्रिया
320	निविदा प्रक्रिया
321	दर प्राप्तनिविदा स्वीकृति शेष। /
361	दर प्राप्तनिविदा/ स्वीकृति शेष।
362	निविदा प्रक्रियाधीन है।

शेष जानकारी यथावत पढ़ा जावे।

(गुरु रुद्र कुमार)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

दिनांक 15 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या-11 (क्र.-206) का पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 14 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16 मार्च 2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 3-4 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्रमांक 1092) में,

मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के "भाग-ग" में अंकित "राशि रू. 320.54 लाख" के स्थान पर पर "राशि रू. 124.90 लाख" पढ़ा जावे ।

(मोहम्मद अकबर)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16 मार्च 2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 7 मे मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 1066) में,

मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर "भाग-ग" के परिशिष्ट 11 से संबंधित "प्रपत्र-स" के स्थान पर पुनरीक्षित " प्रपत्र-स" पढ़ा जावें।

शेष यथावत।

(मोहम्मद अकबर)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

पुनरीक्षित प्रपत्र—स

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1066 द्वारा माननीय श्री अरूण वोरा, विधानसभा सदस्य

क्र	वर्ष	जिला का नाम	हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान किया गया	हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान लंबित
1	2019—20	दुर्ग	3374	0
2	2020—21		0	0
3	2021—22		0	0

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16-03-2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 07 में मुद्रित तारांकित प्रश्न सख्या 19 (कमांक 1152) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) में अंकित जीएसटी काउंसिल द्वारा किसी वस्तु पर कर की दर या कौन-सी वस्तु शामिल होगा का निर्धारण किया जाता है। जीएसटी काउंसिल के निर्णय अनुसार छ.ग. माल व सेवाकर अधिनियम दिनांक 01-07-2017 से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन लागू किया गया है।

भाग(ख) जीएसटी की कटौती राशि वर्ष 2019-20 में 3.31 करोड़, वर्ष 2020-21 में 3.98 करोड़ व वर्ष 2021-22 (31 जन, 2022 तक) में 3.79 करोड़ है। कटौती की कुल जीएसटी राशि 11.08 करोड़ है।

भाग(ग) मार्कफेड द्वारा वर्ष 2019-20 से 31 जनवरी 2022 तक राशि रूपए 11.08 करोड़ का भुगतान जीएसटी के रूप में जीएसटी विभाग को किया गया है। भुगतान हेतु जीएसटी की राशि शेष नहीं है। अतः शेष कार्यवाही निरंक है।

के स्थान पर

(क) कस्टम मिलिंग में सर्विस टैक्स 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। राज्य शासन द्वारा कस्टम मिलिंग में जीएसटी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के तहत 01 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई है। (ख) जीएसटी की कटौती राशि वर्ष 2019-20 में 9.07 करोड़, वर्ष 2020-21 में 13.70 करोड़ व वर्ष 2021-22 (31 जनवरी 2022 तक) में 11.07 करोड़ है। कटौती की कुल जीएसटी राशि रू. 33.84 करोड़ है। (ग) मार्कफेड द्वारा वर्ष 2019-20 से जनवरी 2022 तक कुल राशि रूपये 33.84 करोड़ जीएसटी के रूप में जीएसटी विभाग को भुगतान कर दिया गया है। भुगतान हेतु शेष राशि निरंक है।

(मोहम्मद अकबर)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 21-03-2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 2 (*क्रमांक 1328) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" में जानकारी मधुर गुड क्रय हेतु ई-निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20.05.2020

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :-

"2020-2021" में 20-05-2020.

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

(अमरजीत भगत)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
शुद्धि–पत्र
मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–
दिनांक 22 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–06 (क्र.–1519) तथा तारांकित प्रश्न संख्या–12 (क्र.–682) का पृथक वितरित उत्तर एवं तारांकित प्रश्न संख्या–21 (क्र.–1475) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 21 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

मानननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 23 मार्च, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 3-4....में मुद्रित तारांकित/परि. अतारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्रमांक 1201) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ....

(क) जी हां। सूखा राशन वितरण की जानकारी नीचे अंकित अनुसार है–

शाला	छात्र संख्या	राशि (रूपये में)	सूखा राशन सामग्री का नाम	दर
प्राथमिक	24692	77,04,338	चावल, दाल, तेल, आचार, सोयाबड़ी, नमक	5.19 रू. प्रति छात्र, प्रति शाला दिवस (चावल मूल्य को छोड़कर)
अपर प्राथमिक	13524	63,05,719	चावल, दाल, तेल, आचार, सोयाबड़ी, नमक	7.45 रू. प्रति छात्र, प्रति शाला दिवस (चावल मूल्य को छोड़कर)

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें–

(क) जी हां। सूखा राशन वितरण की जानकारी नीचे अंकित अनुसार है–

शाला	छात्र संख्या	राशि (रूपये में)	प्रदायित सामग्री	दर
प्राथमिक	34,115	1,22,36,914	चावल, दाल, तेल, आचार, सोयाबड़ी, नमक	5.19 रू. प्रति छात्र, प्रति शाला दिवस (चावल मूल्य को छोड़कर)
अपर प्राथमिक	19,481	1,07,20,298		7.45 रू. प्रति छात्र, प्रति शाला दिवस (चावल मूल्य को छोड़कर)
योग	**53,596**	**2,29,57,212**		

(डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 23-03-2022 की प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ कमांक 7-8 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 18 क्रमांक 1399 में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ख" एवं "ग" में शब्द –

(ख) योजनान्तर्गत सकरी नहर के खसरा नंबर 1 में से 1/3, 1/2, 1/1 इसी प्रकार ख. नं. 19/11, 19/9, 19/10, 19/12, 19/7, 19/4 का धारा 11 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 06-07-2019 को हुआ है। तथा उक्त खसरा नंबरों की भूमि का धारा 19 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में भाग-1 के पेज क्रमांक 519 में दिनांक 19-07-2019 को हुआ है। धारा 11 एवं धारा 19 में खसरा नंबर 1/4 एवं 1/6 एवं खसरा नंबर 19 में से प्रकाशन नहीं हुआ है। खसरा नंबर 1 के अन्य बटा नंबरों के प्रकाशन उपरांत हल्का पटवारी द्वारा अवार्ड पारित करते समय मौका जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर खसरा नंबर 1/6 एवं 1/4 के काबिज किसानों को मुआवजा भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:- खसरा नंबर 1/4 रकबा 0.012 हेक्टेयर का मुआवजा राशि 373771.00 लाख रूपये एवं खसरा नंबर 1/6 रकबा 0.105 हेक्टेयर का मुआवजा राशि 304,80,049.00 लाख रूपये का भुगतान मनोज अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल को किया गया है।

(ग) खसरा नंबर 19/4 में रकबा 0.219 हेक्टेयर भूमि का प्रकाशन किया गया है। तत्कालीन पटवारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार खसरा नंबर 19 में से रकबा 0.235 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है, तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पत्रक अनुसार खसरा नंबर 16/4 में से उक्त रकबा 0.235 हेक्टेयर एवं इसी खसरा नंबर में से 0.433 हेक्टेयर कुल 0.688 हेक्टेयर का भुगतान किया गया है तथा खसरा नंबर 40/3 रकबा 0.109 हेक्टेयर का प्रकाशन किया गया है। उक्त खसरा नंबर 40/3 के स्थान पर 40/1 में से 0.304 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त खसरा नंबर 40/3 में भूमिस्वामी का कब्जा है किन्तु अभिलेख में उनका नाम दर्ज नहीं होने से उन्हें भुगतान नहीं किया गया है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे-

(ख) योजनान्तर्गत सकरी नहर के खसरा नंबर 1 में से 1/3, 1/2, 1/1 इसी प्रकार ख.नं.19/11, 19/9, 19/10, 19/12, 19/7, 19/4 का धारा 11 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र नईदुनिया एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 06-07-2019 को हुआ है। तथा उक्त खसरा नंबरों की भूमि का धारा 19 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में भाग-1 के पेज क्रमांक 519 में दिनांक 19-07-2019 को हुआ है। धारा 11 एवं धारा 19 में खसरा नंबर 1/4 एवं 1/6 एवं खसरा नंबर 19 में से प्रकाशन नहीं हुआ है। खसरा नंबर 1 के अन्य बटा नंबरों के प्रकाशन उपरांत हल्का पटवारी द्वारा अवार्ड पारित करते समय मौका जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर खसरा नंबर 1/6 एवं 1/4 के काबिज किसानों के मुआवजा भुगतान किया गया है, इसका विवरण निम्नानुसार है:- खसरा नंबर 1/4 रकबा 0.012 हेक्टेयर का मुआवजा राशि 37,37,871.00 रूपये एवं खसरा नंबर 1/6 रकबा 0.105 हेक्टेयर का मुआवजा राशि 3,04,80,049.00 रूपये का भुगतान मनोज अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल को किया गया है।

(ग) खसरा नंबर 19/4 में रकबा 0.219 हेक्टेयर भूमि का प्रकाशन किया गया है। तत्कालीन पटवारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार खसरा नंबर 19 में से रकबा 0.235 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है, तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पत्रक अनुसार खसरा नंबर 19/4 में से उक्त रकबा 0.235 हेक्टेयर एवं इसी खसरा नंबर में से 0.433 हेक्टेयर कुल 0.668 हेक्टेयर का भुगतान किया गया है तथा खसरा नंबर 40/3 रकबा 0.109 हेक्टेयर का प्रकाशन किया गया है। उक्त खसरा नंबर 40/3 के स्थान पर 40/1 में से 0.304 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त खसरा नंबर 40/3 में कब्जा है किन्तु राजस्व अभिलेख में कब्जेदार का नाम दर्ज नहीं होने से उन्हें भुगतान नहीं किया गया है।

(जयसिंह अग्रवाल)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 24-03-2022 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 09 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 470) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ग) में अंकित " प्राप्त आवेदनों में से वर्षवार क्रमशः 58, 50, 13 नवीनीकरण किया गया है, वर्षवार क्रमशः 11, 18, 15 आवेदन विचाराधीन है, तथा 03 लोगो का नवीनीकरण नहीं किया गया है।"

के स्थान पर

(ग) "प्राप्त आवेदनों में से वर्षवार क्रमशः 58, 50, 13 नवीनीकरण किया गया है, वर्षवार क्रमशः 11, 18, 11 आवेदन विचाराधीन है, तथा 03 लोगो का नवीनीकरण नहीं किया गया है। " पढ़ा जावे।

(मोहम्मद अकबर)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर-28-07/2022-200.